

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)
2017 का प्रतिवेदन संख्या 43

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)
2017 का प्रतिवेदन संख्या 43**

..... को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय 1 : सेवा कर प्रशासन	1-21
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3 संगठनात्मक ढांचा	3
1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन	4
1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान	4
1.6 सेवा कर की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संघटन	5
1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर	6
1.8 कर आधार	8
1.9 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां	9
1.10 सेवा कर का बकाया	9
1.11 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली	10
1.12 विवरणियों की संवीक्षा	11
1.13 अधिनिर्णय	12
1.14 प्रतिदाय दावों का निपटान	12
1.15 अपील मामले	14
1.16 संग्रहण की लागत	16
1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा	17
1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	18
1.19 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	20
1.20 रिपोर्ट का विहंगावलोकन	20
1.21 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	20
अध्याय II : वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर	23-57
2.1 प्रस्तावना	23
2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य	25
2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और सैम्पल	26

	विषय	पृष्ठ
2.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	26
2.5	सेवा कर आधार का विस्तार करना	27
2.6	विवरणियों की संवीक्षा के सम्बन्ध में विभाग के निष्पादन का विश्लेषण	35
2.7	सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारितियों के रिकार्ड्स की विस्तृत जांच	40
2.8	निष्कर्ष	56
अध्याय III : नियमों तथा विनियमों का अननुपालन		59-69
3.1	प्रस्तावना	59
3.2	सेवा कर का भुगतान न करना	60
3.3	सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति/उपयोग	66
अध्याय IV : आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता		71-99
4.1	प्रस्तावना	71
4.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	71
4.3	प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तताएं	72
4.4	आंतरिक लेखापरीक्षा न करना	74
4.5	आइएपीज द्वारा चूकों का पता न लगाना	76
4.6	क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियाँ	93
परिशिष्ट I		101
परिशिष्ट II		102
परिशिष्ट III		104
परिशिष्ट IV		108
परिशिष्ट V		111
शब्दावली		114

प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2016-17 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आए परंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत की सम्मेलित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह संतुष्टि करने का अधिकार देती है कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी जांच करने के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई गई हैं तथा उनका पूर्ण रूप से अनुसरण किया जा रहा है। हमने संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित सेवा कर विभाग के कार्यों की जांच की तथा उन निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जो यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र की मौजूदा प्रभावकारिता की जांच करने हेतु कर संग्रहण का आधार बनाते हैं कि निर्धारित स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं। निर्धारितियों द्वारा विभागीय कार्यों तथा अनुपालन की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा, इस वर्ष हमने वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की।

इस प्रतिवेदन में ₹ 352.86 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले सेवा कर पर 196 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने सितम्बर 2017 तक ₹ 205.26 करोड़ के राजस्व से जुड़ी 176 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी तथा 116 मामलों में ₹ 100.07 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

अध्याय I : सेवा कर प्रशासन

- वित्तीय वर्ष 2016-17 (विव17) के दौरान सेवा कर राजस्व संग्रहण ₹ 2,54,499 करोड़ था और विव17 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 29.52 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.6)

- 31 मार्च 2017 तक ₹ 1,17,935 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले बकाये के मामले वसूली हेतु लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.10)

- ₹ 1,22,008 करोड़ के राजस्व से जुड़े मामले, वि.व 16 के अंत तक लंबित राशि पर 26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुये, विव17 में अपील में लंबित थे।

विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र निपटान करना सरकारी राजकोष में ₹ 1,22,008 करोड़ के संभाव्य राजस्व प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है।

(पैराग्राफ 1.15)

- विभाग ने लेखापरीक्षा के लिये नियत इकाईयों के राजस्व आधारित चयन से लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में उपलब्ध श्रमबल की फैक्टरिंग द्वारा जोखिम आधारित चयन में शिफ्ट किया। लेखापरीक्षा हेतु निर्धारितियों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन के बावजूद बड़ी और मध्यम इकाईयों में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी।

(पैराग्राफ 1.17)

अध्याय II: वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर

वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा से प्राप्त सेवा कर राजस्व में विव13 में ₹ 880.09 करोड़ से विव16 में ₹ 1,950.08 करोड़ की वृद्धि हुई जो यह स्पष्ट करता है कि कोचिंग केन्द्रों का व्यापार प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में इस सेवा कर की औसत वार्षिक विकास दर इस क्षेत्र के लिये संभावित विकास दर के अनुरूप नहीं थी। हमने सेवा कर से जुड़ी 117 कमिश्नरियों में से 18 चयनित कमिश्नरियों में इस क्षेत्र में एसएससीए किया। महत्वपूर्ण अवलोकन हैं:

- इस क्षेत्र के विकास की गति की तुलना में कर निर्धारण में वृद्धि के लिये विभाग द्वारा किये गये प्रयास अपर्याप्त थे और इसमें राजस्व हानि निहितार्थ थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित स्वतंत्र जांच से स्पष्ट है।

- विशेष सेल जिनके पास संभावित निर्धारितियों को पहचानने का अधिकार है, वो सभी चयनित कमिश्नरियों में गैर-मौजूद/गैर-कार्यात्मक थे।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- लेखापरीक्षा ने 1,005 अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान की, जिसमें से 151 मामलों में, हम 6.11 करोड़ की सेवा कर देयता निर्धारित कर सके।

(पैराग्राफ 2.4)

- विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन में भी कमी थी।
 - 10 चयनित कमिश्नरियों में, कुल देय विवरणियों में से 46.25 प्रतिशत विवरणियां इस क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों द्वारा फाइल नहीं किये गये थे लेकिन केवल पांच कमिश्नरियों में नॉन-फाइलर्स पर कार्रवाई की गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1)
 - विभाग विव14 से विव16 की अवधि के दौरान समीक्षा और संशोधन (आरएंडसी) हेतु मार्क किये गये विवरणियों की 98 प्रतिशत में आरएंडसी करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.6.3)
- लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारितियों के नमूना जांच अभिलेखों से पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के गैर/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ, ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि के 179 मामलों का पता चला। जिसमें ₹ 88.26 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 2.4)

अध्याय III: नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा ने सेवा कर के गैर-भुगतान/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ/उपयोग और लंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखे जिसमें ₹ 92.61 करोड़ का वित्तीय प्रभाव शामिल था।

(पैराग्राफ 3.1)

अध्याय IV: आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा और जांच में कमियां, कारण बताओं नोटिस जारी करने में विलंब आदि देखा जिससे ₹ 165.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

अध्याय I

सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण की वापसी से सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्ति शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 (विव17) तथा विव16 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)	
	विव17	विव16
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	8,49,801	7,42,012
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	8,66,167	7,13,879
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	5,06,721	4,84,581
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,299	1,881
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ ¹	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ²	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ³	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	84,46,839	63,43,313

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। विव17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में विव16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा विव17 में ₹ 6,08,000 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में विव16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से विव17 में ₹ 84,46,839 करोड़ की वृद्धि हुई। विव17 में, इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 22,23,988 करोड़ थी जिसमें ₹ 2,81,635 करोड़ की वृद्धि है, जो पूर्व वर्ष से 14.50 प्रतिशत अधिक है। इसमें ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर

¹ इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं;

² संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

³ भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियाँ

प्राप्तियाँ शामिल हैं, जिसमें से अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 8,66,167 करोड़ थीं।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह प्रतिवेदन विव17 तक के लिए आयोजित लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा इसमें विव16 तक के सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण शामिल हैं उस तारीख तक प्रचलित मुख्य अप्रत्यक्ष कर की नीचे चर्चा की गई है:

क) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवा कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और इस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित⁴ किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी गतिविधि (उनमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा⁵ शामिल है।

ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

⁴ 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

⁵ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूचीबद्ध करती है।

ग) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमाशुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

यह विचारणीय है कि 1 जुलाई 2017 से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम और कुछ तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर और राज्यों के लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) व विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटक, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित हो गये हैं।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए सेवा कर में प्रवृत्तियों, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (मंत्रालय) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और इसके संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा देखभाल की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यकारी कमिश्नरियों, द्वारा शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जीएसटी लागू करने के मद्देनजर पुनर्गठन से पूर्व देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों में बांटा गया था। इन 27 जोनों के अंतर्गत कमिश्नर की अध्यक्षता में 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नरियां जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित हैं, 36 विशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां हैं जिसके अध्यक्ष कमिश्नर हैं। डिवीजन और रेंज अगली संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन

कार्यकारी कमिशनरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिशनरियां 60 अपील कमिशनरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिशनरियां और विशिष्ट कार्यों जैसे आसूचना, निरीक्षण, विधिक मामलों आदि जैसे आसूचना, निरीक्षण, विधिक मामलों आदि से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

1 जनवरी 2017 तक सीबीईसी की समग्र सापेक्ष कार्यबल संख्या 84,875 थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट 1** में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन

तालिका 1.2 विव13 से विव17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्ष वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर	₹ करोड़ में	
				सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर
विव13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
विव14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
विव 15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
विव16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
विव17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्त लेखे (विव17 अनंतिम), जीडीपी - सीएसओ का प्रेस नोट⁶

यह देखा गया कि विव16 की तुलना में विव17 में पंजीकृत जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में थोड़ी वृद्धि हुई और विव16 की तुलना में विव17 में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

तालिका 1.3, विव13 से विव17 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

⁶ केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2017 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि विव14 और विव15 हेतु जीडीपी के लिये आंकड़े नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर हैं; और विव17 के आंकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। विव13 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा है और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
विव13	99,88,540	1,32,601	1.33	1,75,845	1.76	1,65,346	1.66
विव14	1,13,45,056	1,54,780	1.36	1,69,455	1.49	1,72,085	1.52
विव15	1,25,41,208	1,67,969	1.34	1,89,038	1.51	1,88,016	1.50
विव16	1,35,76,086	2,11,415	1.56	2,87,149	2.12	2,10,338	1.55
विव17	1,51,83,709	2,54,499	1.68	3,80,495	2.51	2,25,370	1.48

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं। विव17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अप्रत्यक्ष करों के बीच में सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व जीडीपी की प्रतिशतता में सतत वृद्धि हुई, जबकि विव17 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में कमी हुई, यद्यपि मौद्रिक रूप में सभी तीनों करों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

1.6 सेवा कर की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संघटन

तालिका 1.4, विव13 से विव17 के दौरान निरपेक्ष और जीडीपी में सेवा कर की वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.4: सेवा कर में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व
विव13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.33	12.79	27.93
विव14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,54,780	1.36	13.59	31.12
विव 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,67,969	1.34	13.49	30.75
विव16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,11,415	1.56	14.52	29.77
विव17	1,51,83,709	17,15,968	8,62,151	2,54,499	1.68	14.83	29.52

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं। विव17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

विव17 के दौरान सेवा कर सकल कर राजस्व का 14.83 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में सेवा कर के भाग में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि कुल अप्रत्यक्ष कर

में इसका शेयर लगातार दो वित्तीय वर्षों अर्थात विव16 और विव17 में कम हुआ। विव17⁷ के लिये केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमान (पीई) के अनुसार सेवा क्षेत्र वृद्धि (अर्थात निरंतर (विव 12) मूल कीमतों पर जीवीए) में पिछले दो वर्षों में 9.7 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से दो सेवा श्रेणियों (i) करोबार, होटलों, परिवहन, संचार और प्रसारण सं संबंधित सेवाओं, और (ii) वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यवसायी सेवाएं में वृद्धि में गिरावट के कारण है।


1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

वित्त अधिनियम, 1994, के अनुसार, सेवा कर 30 जून 2012 तक 119 सेवाओं पर लगाया गया था। 1 जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची के आरम्भ के साथ धारा 66डी के तहत निर्दिष्ट प्रविष्टियों के अतिरिक्त सभी सेवाएं जैसे - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा सेवाएं, भारत में स्थित एक विदेशी दूतावास द्वारा सेवाएं, माल व्यापार, टोल शुल्क के भुगतान पर एक सड़क या पुल को पहुँच के रूप में सेवाएं, स्कूल-पूर्व-शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक या समकक्ष के माध्यम से शिक्षा के अलावा सभी सेवाएं कर योग्य थीं।

सर्वोच्च पांच श्रेणी सेवाओं ने विव17 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण में 26 प्रतिशत का अंशदान दिया जिसे पाई चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है, जबकि शेष सेवा श्रेणियों ने 74 प्रतिशत अंशदान दिया।

⁷ आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 (खण्ड II) का पैरा संख्या 9.9

चार्ट-1.1 विव17 में सर्वोच्च पांच सेवाओं से सेवा कर संग्रहण



विव13 से विव17 के दौरान इन पांच शिखर श्रेणी सेवाओं से सेवा कर संग्रहण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: पांच शिखर सेवा श्रेणियों से सेवा कर

वर्ष	(₹ करोड़ में)				
	विव13	विव14	विव15	विव16	विव17
श्रमबल भर्ती	4,432	7,335	9,045	13,129	15,597
सामान्य बीमा प्रीमियम	6,321	8,834	9,263	11,436	13,866
निर्माण कार्य ठेके	4,455	7,434	8,139	11,434	12,277
दूरसंचार	7,538	12,643	13,531	12,690	12,171
बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं	4,964	7,185	8,099	11,005	11,032

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें। विव17 के आंकड़े अंतिम हैं।

दिनांक 30 जून 2012 की अधिसूचना द्वारा रिवर्स प्रभार⁸ के तहत सेवा कर का भुगतान अन्य सेवाओं के अलावा श्रमबल भर्ती और निर्माण कार्य संविदा सेवा के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद, विव16 और विव17 में सर्वोच्च सेवा कर राजस्व भुगतान सेवा बन कर श्रमबल भर्ती सेवा से सेवा कर में विव13 में ₹ 4,43 करोड़ से विव17 में ₹ 15,597 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इसीप्रकार, निर्माण कार्य संविदा सेवा जो विव17 में तीसरी सर्वोच्च राजस्व अंशदान देने वाली सेवा थी, में राजस्व में विव13 में ₹ 4,455 करोड़

⁸ सामान्य: सेवा प्रदाता सेवा कर का भुगतान करता है परन्तु कुछ मामलों में, प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, जिसे रिवर्स प्रभार कहा जाता है।

से विव17 में ₹ 12,277 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। दूरसंचार विव16 में दूसरे शीर्ष अंशदाता से चौथे स्थान पर खिसकने के साथ सामान्य बीमा प्रीमियम द्वितीय स्थिति पर था। बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वोच्च सेवा कर अंशदाता के बीच पाँचवे स्थान पर थीं।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अंतर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	पंजीकरण कराने वालों की संख्या जिन्होंने विवरणी दाखिल की	पंजीकरण कराने वालों की % जिन्होंने विवरणी फाइल की
विव13	19,97,422	13.00 ⁹	8,67,182	43.42
विव14	22,73,722	13.83	10,08,137	44.34
विव15	25,26,932	11.14	11,12,120	44.01
विव16	28,28,361	11.93	12,18,594	43.08
विव17	31,60,281	11.74	13,06,280	41.33

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े।

यह देखा गया है कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तथापि, विवरणी फाइल करने वाले पंजीकृत निर्धारितियों के प्रतिशत में विव17 में 2 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

विभाग को विवरणियों दाखिल न करने के कारणों की जांच करने और देय विवरणियों को दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

⁹ विव12 के दौरान एसटी पंजीकरण 17,67,604 थे।

विव13 से विव16 से संबंधित दाखिल की गई विवरणियों पर इस वर्ष मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा पिछले वर्ष प्रस्तुत संदर्भित डाटा से मेल नहीं खाता है जो 2016 की सीएजी के प्रतिवेदन सं. 41 में सूचित किया गया था।

1.9 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियाँ

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) और तदनुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आरई के बीच % ता अन्तर
विव13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
विव14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15
विव15	2,15,973	1,68,132	1,67,969	(-)48,004	(-)22.23	(-)0.10
विव16	2,09,774	2,10,000	2,11,415	1,641	0.78	0.67
विव17	2,31,000	2,47,500	2,54,499	23,499	10.17	2.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्त बजट दस्तावेज। विव17 की वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ें अनंतिम हैं।

यह देखा जाता है कि विव17 के दौरान सेवा कर का वास्तविक संग्रहण पिछले वर्षों की नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रतिरुद्ध हुए बजट अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक और संशोधित बजट अनुमानों से लगभग 3 प्रतिशत अधिक था।

1.10 सेवा कर का बकाया

दी गई महत्वपूर्ण बकाया राशि वसूल करने के लिए यह आवश्यक है कि कर विभाग जीएसटी के संव्यवहार के बाद भी विरासती मुद्दों पर विशेष रूप से जानकारी रखें।

कानून अर्जित किये गये परन्तु वसूले नहीं गये राजस्वों की वसूली के लिए विभिन्न रीतियाँ प्रदान करता है। इनमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशि यदि कोई हो, का समायोजन, जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा कुर्की और उत्पाद-शुल्क योग्य माल की बिक्री और वसूली शामिल है।

तालिका 1.8 राजस्व बकायों की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8: सेवा कर - बकायाओं की वसूली

(₹ करोड़ में)

	विव17	
	सकल बकाया ¹⁰	वसूली योग्य बकाया ¹¹
अथशेष	90,170.04	2,658.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	68,663.89	6,176.31
कुल बकाया	1,58,833.93	8,834.62
मांग का निपटान ¹²	39,006.39	4,285.29
वसूला गया बकाया	1,892.89	783.33
कुल बकाया के % के रूप में बकाया वसूली	1.19	8.87
अन्त शेष	1,17,934.65	3,766.00

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा जा सकता है कि विव17 के दौरान विभाग केवल 8.87 प्रतिशत वसूली योग्य बकायों को वसूल कर सका था। वसूल किए जाने वाले बकायों की पर्याप्त राशियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि सेवा कर विभाग जीएसटी को परिवर्तन के बाद भी विरासत मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करें।

1.11 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि कमिश्नरियां अपने क्षेत्राधिकार में यूनियों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ शुल्क अपवंचन के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष

¹⁰ सकल बकाया में रूका हुआ, रोका गया (बीआईएफआर मामले, रूकी हुई लम्बित आवेदन इत्यादि) और वसूली योग्य बकाया शामिल हैं।

¹¹ जिन मामलों में मांग की पुष्टि की गई है, परन्तु कोई भी अपील नियत समय के अन्दर दाखिल नहीं की गई है, इकाई को बंद करना/चूककर्ता को पता नहीं लगाया जा सकता है, आदि मामले समायोजन आयोग द्वारा नियत किया गया है।

¹² मांगों के निपटान में विभाग पक्ष में/विभाग के विरुद्ध मांग की पुष्टि शामिल करते हुए, नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए आदेश आदि।

आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसी संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय उप-शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है। तालिका 1.9 गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन दर्शाती हैं।

तालिका 1.9: गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन
(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
विव15	6,719	10,544	4,448
विव16	7,534	18,971	4,658
विव17	8,085	17,846	5,313

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह पाया गया है कि डीजीसीईआई द्वारा खोजे गये सेवा कर के मामलों में विव16 की तुलना में विव17 में वृद्धि हुई है जबकि खोजी गई राशि में कुछ कमी आई है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.12 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की थी। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया था।

बार-बार हमारे अनुस्मारकों के बावजूद, विभाग ने विव17 के लिए विवरणियों की संवीक्षा पर सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। विभाग ने बताया था कि जीएसटी के लिए विभाग के पुनर्गठन के कारण, विभिन्न नए क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा संग्रहण व्यवहार्य नहीं है। यह इस चिंता को बढ़ाता है कि विरासती मुद्दों को नजरअंदाज किया जा सकता था। वास्तव में, विभाग को व्यवस्थित ढंग से नए कार्यालयों को वसीयती अभिलेखों को सौंपने पर ध्यान देना चाहिए और पिछले कार्यालयों से नए कार्यालयों के लिए विरासत के अभिलेखों के संचलन की पूरी जानकारी रखनी चाहिए।

1.13 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ सेनवैट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार विकसित हो सकते हैं। अधिनिर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.10 अधिनिर्णय के लिए लम्बित सेवा कर मामलों का कालवार विश्लेषण चित्रित करती है।

तालिका 1.10 विभागीय अधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले
(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलों		1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
	सं.	राशि	
विव15	33,122	77,463	12,668
विव16	30,453	76,124	8,587
विव17	19,053	68,941	6,919

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

विव16 की तुलना में विव17 में 37.43 प्रतिशत तक अधिनिर्णय के लिए लम्बित कुल मामलों की संख्या में कमी आई इसके साथ एक वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों में 19.42 प्रतिशत की गिरावट आई है। तथापि, इन मामलों में सम्मिलित राशि में केवल 9.44 प्रतिशत की कमी आई।

1.14 प्रतिदाय दावों का निपटान

प्रतिदाय दावों से सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम प्रावधान सेवा कर को भी लागू होते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे तथा वापसी की मंजूरी के लिए विधिक प्राधिकारी का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11बीबी प्रावधान करती है कि प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है यदि यह वापसी के आवेदन की तिथि के तीन महीने के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तक में निर्धारित कि विभाग को प्रतिदाय दावों को तभी स्वीकार करना चाहिए, जब सभी समर्थक दस्तावेज साथ हों क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रतिदाय

की संस्वीकृति में विलम्ब हो सकता है। तालिका 1.11 विभाग द्वारा वापसी दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शायी गई देरी वापसी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दावों के अन्तिम संसाधन तक के लिए गए आवश्यक समय के रूप में है।

तालिका 1.11: सेवा कर में वापसी दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष		प्राप्तियाँ (वर्ष के दौरान)		(वर्ष के दौरान) निपटान				मामले जहाँ ब्याज का भुगतान किया गया		3 महीनों के अन्तर्गत निस्तारित मामलों की संख्या
					संस्वीकृत		अस्वीकृत				
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
विव16	20,740	12,370	26,230	10,633	23,860	6,598	7,973	6,302	0	0	1,131
विव17	12,243	8,319	33,343	14,792	28,154	9,953	7,165	5,954	4	6	1,632

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा गया कि विव16 की तुलना में विव17 में प्रतिदाय निपटान मामलों की संख्या के साथ-साथ संस्वीकृत राशि दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। विव17 में निपटान किए कुल 28,154 मामलों में से, केवल 1,632 मामले (5.80 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत संसाधित किए गए थे। यह विव14 में तीन महीने के अंतर्गत 82 प्रतिशत मामलों¹³ के निपटान की तुलना में बड़ी गिरावट है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रतिदाय की संस्वीकृति में विलम्ब के लिए केवल चार मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। इस प्रकार, लगभग 94 प्रतिशत के निपटान में विलम्ब से हुए प्रतिदाय के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं हुआ था, दोनों में, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी दावों के लम्बित होने का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

¹³ जैसा 2016 के प्रतिवेदन संख्या 41 की तालिका 1.11 में दर्शाया गया।

तालिका 1.12: 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का वर्षवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	31 मार्च को लम्बित वापसी दावों की कुल संख्या ¹⁴		लंबित वापसी दावे			
				1 वर्ष से कम		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
विव15	*	13,913	8,390	10,848	5,642	3,065	2,747
विव16	46,970	12,243	8,319	9,403	5,146	2,840	3,173
विव17	45,586	10,089	6,994	9,063	6,035	1,026	959

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

*मंत्रालय ने विव15 के लिए पूर्ण डाटा प्रदान नहीं किया।

यह पाया गया की विव16 की तुलना में विव17 में एक वर्ष से अधिक लम्बित सहित लम्बित प्रतिदाय मामलों की संख्या के साथ साथ वापसी दावों में संलिप्त राशि दोनों में काफी कमी हुई थी।

1.15 अपील मामले

अधिकरण प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि समेत कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ विधि के मुद्दे, व्याख्याओं आदि पर विचार किया जाता है। अपीलों के लम्बन के कारण राजस्व की विशाल राशियां पर्याप्त समयावधि के लिए अवसूचित रहती हैं। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.13 में विभिन्न फोरमों पर मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

मंत्रालय ने विव 15 से विव17 के लिए सेवा कर के लिए अपील के लम्बन से संबंधित डाटा उपलब्ध कराये थे। डाटा तालिकाबद्ध है:

¹⁴ मंत्रालय द्वारा दिये गए जमा शेष के आंकड़े तालिका 1.11 में दी हुई जानकारी से निकाले गये जमा शेष से मेल नहीं खाते।

तालिका 1.13: अपील का लम्बन (एसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		निर्धारित की अपीलों के ब्यौरे		विभागीय अपीलों के ब्यौरे		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव15	सर्वोच्च न्यायालय	179	450	359	1,762	538	2,211
	उच्च न्यायालय	1,837	4,663	877	1,717	2,714	6,380
	सेसटैट	16,245	54,654	5,585	6,762	21,830	61,416
	निपटान आयोग	73	214	0	0	73	214
	कमिश्नर (अपील)	15,112	3,373	1,925	357	17,037	3,730
	कुल	33,446	63,354	8,746	10,597	42,192	73,951
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	196	959	423	3,077	619	4,036
	उच्च न्यायालय	2,115	6,300	859	2,218	2,974	8,518
	सेसटैट	18,628	63,654	5,546	15,824	24,174	79,478
	निपटान आयोग	52	94	0	0	52	94
	कमिश्नर (अपील)	14,986	4,320	2,619	377	17,605	4,697
	कुल	35,977	75,327	9,447	21,496	45,424	96,823
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	220	2,031	508	6,116	728	8,147
	उच्च न्यायालय	2,549	9,383	917	3,067	3,466	12,450
	सेसटैट	21,737	78,821	5,610	15,506	27,347	94,327
	निपटान आयोग	75	189	0	0	75	189
	कमिश्नर (अपील)	16,720	6,398	2,513	497	19,233	6,895
	कुल	41,301	96,822	9,548	25,186	50,849	1,22,008

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तालिका दर्शाती है कि विव17 के अन्त में ₹ 1,22,008 करोड़ के राजस्व वाले मामले अपीलों में लम्बित थे जो कि विव16 के अन्त तक लम्बित राशि से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। क्योंकि अपील के लम्बित रहने तक राजस्व की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इसलिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा राजकीय कोष को 1,22,008 करोड़ के संभावित राजस्व की प्राप्ति के लिए शीघ्र निपटान करना महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने विव16 एवं विव17 के लिए सेवा कर अपील मामलों के निपटान के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। डाटा तालिकाबद्ध है:

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान निर्णीत मामलों का ब्यौरा (एसटी)

वर्ष	फोरम	विभाग के पक्ष में निर्णय				निर्धारिती की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरुद्ध निर्णय	माँगी गई	सफल अपील का %	निर्धारिती के पक्ष में निर्णय	निर्धारिती के विरुद्ध निर्णय	माँगी गई	सफल अपील का %
विव16	सर्वोच्च न्यायालय	7	81	6	7.45	11	3	3	64.71
	उच्च न्यायालय	51	211	25	17.77	118	361	172	18.13
	सेसटैट	114	589	72	14.71	1,020	544	582	47.53
	निपटान आयोग	275	294	26	46.22	2,897	2,673	1,341	41.92
	कमिश्नर (अपील)	447	1,175	129	25.53	4,046	3,581	2,098	41.60
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	9	14	4	33.33	2	6	9	11.76
	उच्च न्यायालय	29	204	10	11.93	139	346	79	24.65
	सेसटैट	198	1,508	135	10.76	1,560	644	635	54.95
	निपटान आयोग	0	0	0	0	17	53	4	22.97
	कमिश्नर (अपील)	485	781	122	34.94	4,026	3,803	2,098	40.56
	कुल	721	2,507	271	20.61	5,744	4,852	2,825	42.80

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तालिका से पता चलता है कि अधिनिर्णय आदेश के विरुद्ध विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव16 में 25.53 प्रतिशत से विव17 में 20.61 तक घटा है। जब विभाग ने उच्च न्यायालय और सेसटैट में अपील की तब सफलता अनुपात 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच था।

1.16 संग्रहण की लागत

तालिका 1.15 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.15: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की लागत (₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर से प्राप्तियां	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों % के रूप में संग्रहण की लागत
विव13	1,32,601	1,75,845	3,08,446	2,439	0.79
विव14	1,54,780	1,69,455	3,24,235	2,635	0.81
विव15	1,67,969	1,89,038	3,57,007	2,950	0.83
विव16	2,11,415	2,87,149	4,98,564	3,162	0.63
विव17	2,54,499	3,80,495	6,34,994	4,056	0.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे। विव17 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

गत वर्ष की तुलना में मौद्रिक शब्दों में विव17 में संग्रहण की लागत में वृद्धि हुई किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सेवा कर प्राप्तियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

1.17 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य के लिए वार्षिक राजस्व के आधार पर निर्धारित इकाइयों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत कर रहा है, समस्त 'ए' श्रेणी इकाइयों को लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए वार्षिक इकाइयों के रूप में माना जाता है जबकि 'बी' श्रेणी द्विवार्षिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अक्टूबर 2014 में विभाग की पुनः संरचना के बाद, नई लेखापरीक्षा कमिशनरियां बनाई गईं जिसके बाद विभाग ने लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को तीन श्रेणियों अर्थात् बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों में डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किये गये केन्द्रिकृत जोखिम निर्धारण के आधार पर मान्यता दी गई। लेखापरीक्षा कमिशनरी के पास उपलब्ध श्रमबल को 40:25:15 के अनुपात में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों के बीच आवंटित किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत श्रमबल को योजना बनाने, समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है।

तालिका 1.16 लेखापरीक्षित यूनिटों की तुलना में लेखापरीक्षा दलों द्वारा विव17 के दौरान कमिशनरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए देय सेवा कर इकाइयों को दर्शाती है।

तालिका 1.16: विव16 एवं विव17 के दौरान आयोजित निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वर्ग	श्रेणी	देय इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (सं.)	लेखापरीक्षा में कमी (%)
विव17	बड़ी यूनिटें	7,442	3,254	4,188	56.28
	मध्यम यूनिटें	10,450	4,789	5,661	54.17
	छोटी यूनिटें	20,640	12,096	8,544	41.40

स्रोत: आंकड़े मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

विभाग ने लेखापरीक्षा कमिशनरियों में उपलब्ध श्रमबल के विभाजन द्वारा जोखिम आधारित चयन को लेखापरीक्षा के लिए देय इकाइयों को राजस्व आधारित चयन से बदल दिया। लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित की चयन पद्धति

में परिवर्तन के बावजूद बड़ी और मध्यम इकाइयों में अभी भी लेखापरीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी है। इसप्रकार लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी, जोकि पूर्व-पुनर्रचना काल (2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4 की टिप्पणी के अनुसार) में लगभग 50 प्रतिशत थी, पृथक लेखापरीक्षा कमिश्नरी बनाने और चयन की संशोधित पद्धति के बावजूद जारी रही।

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 1.17 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 1.17: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष के दौरान आपत्तिकृत तथा वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	पता लगाई गई कम उद्ग्रहित राशि	कुल वसूली गई राशि
विव17	बड़ी इकाइयाँ	4,276	823
	मध्यम इकाइयाँ	1,204	379
	छोटी इकाइयाँ	852	332
	कुल	6,332	1,534

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा जाता है कि बड़ी इकाइयों में ढूंढी गई और वसूल की गई उद्ग्रहण राशि अन्य इकाइयों से काफी अधिक थी जो यह दर्शाते हैं कि बड़ी इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।

1.18 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

ऐसी विभिन्न पद्धतियां हैं जिनसे बकाया परंतु कर दाताओं द्वारा अदा न किये गये राजस्व को विभाग संग्रहीत करता है। इन पद्धतियों में विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा अपवंचन रोधी, अधिनिर्णयन आदि शामिल होते हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.18 में तालिकाबद्ध किये गये हैं।

तालिका 1.18: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	विभागीय कार्रवाई	विव16 के दौरान वसूली	विव17 के दौरान वसूली
1	अपवंचन रोधी	3,017.85	2,979.64
2	चूककर्ताओं से वसूली	1,044.26	1,312.31
3	पूर्व-जमा	753.37	781.68
4	अधिनिर्णयन में पुष्टि की गई मांगे	1,015.36	666.53
5	आंतरिक लेखापरीक्षा	688.76	628.41
6	विवरणियों की संवीक्षा	263.23	300.90
7	आयकर विवरणियां/स्रोत ¹⁵ पर काटा गया कर	235.68	184.19
8	स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना	163.89	38.02
9	अन्य	579.85	475.63
	कुल	7,762.25	7,367.31

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

विव17 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण ₹ 2,54,499 करोड़ है, जिसमें से 2.89 प्रतिशत की घोटक केवल ₹ 7,367.31 करोड़ ही विभागीय प्रयासों से संग्रहीत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि तालिका 1.18 में आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी के अंतर्गत दर्शाया गया राजस्व संग्रहण क्रमशः तालिका 1.17 और 1.9 में दर्शाई गई उक्त श्रेणी से संबंधित राशि से मेल नहीं खाता। वास्तव में, तालिका 1.18 (₹ 2,980 करोड़) में दर्शाई गई वसूलियां तालिका 1.9 (₹ 5,313 करोड़) में बताई गई अपवंचन रोधी की जांच के दौरान किये गये स्वैच्छिक भुगतानों से काफी कम हैं। यद्यपि वि.व 15 और वि.व 16 के दौरान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के संबंध में समान डाटा त्रुटि विगत वर्ष (2016 की रिपोर्ट सं.1 और 2016 की रिपोर्ट सं. 41) सेवा कर पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा मंत्रालय की जानकारी में लाई गई थी, मंत्रालय द्वारा 2017 में दोबारा उपयुक्त सत्यापन के बिना ऐसा डाटा भेजा गया।

वि.व 16 के लिए विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किये गये राजस्व से संबंधित इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा मंत्रालय द्वारा विगत वर्ष प्रस्तुत किये गये और 2016 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 41 से मेल नहीं खाता।

¹⁵ आय कर विभाग द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर

1.19 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा द्वारा अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जिन्होंने लेखापरीक्षा और लेखा, 2007 (संशोधित) नियमावली और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार विव17 में 1,055 इकाइयों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) की लेखापरीक्षा की।

डीओआर, सीबीइसी और इसकी क्षेत्रीय स्थापनाओं, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और अन्य पणधारक रिपोर्ट सहित मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में आधारभूत रिकॉर्ड/दस्तावेजों में जांच सहित संघ वित्त लेखा डाटा का प्रयोग किया गया।

1.20 रिपोर्ट का विहंगावलोकन

वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 352.86 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 196 पैराग्राफ हैं। सामान्यतः आपत्तियों के तीन प्रकार हैं: सेवा कर का भुगतान न करना, सेवा कर का कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग इत्यादि। विभाग/मंत्रालय ने जिसमें कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना, कारण बताओ नोटिस का अधिनिर्णयन के रूप में 176 पैराग्राफ के मामले में ₹ 205.26 करोड़ की राशि वाली पहले ही की गई परिशोधित कार्रवाई की है और ₹ 100.70 करोड़ की वसूली सूचित की है।

1.21 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्रवाई

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट शामिल) हमने ₹ 2,034.07 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 854 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (तालिका 1.19) को शामिल किया था।

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष		विव13	विव14	विव 15	विव16	विव17	कुल	
शामिल पैराग्राफ	संख्या	151	178	167	162	196	854	
	राशि	265.75	772.08	386.50	256.88	352.86	2,034.07	
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	147	171	163	158	176	815
		राशि	262.29	477.22	372.80	252.65	205.26	1,570.22
	मुद्रण के बाद	संख्या	4	--	1	--	--	5
		राशि	1.81	--	0.32	--	--	2.13
	कुल	संख्या	151	171	164	158	176	820
		राशि	264.10	477.22	373.12	252.65	205.26	1,572.35
की गई वसूलियां	मुद्रण पूर्व	संख्या	95	92	104	122	116	529
		राशि	65.28	130.29	53.02	78.47	100.70	427.76
	मुद्रण के बाद	संख्या	9	11	3	--	--	23
		राशि	2.07	33.93	1.10	--	--	37.10
	कुल	संख्या	104	103	107	122	116	552
		राशि	67.35	164.22	54.12	78.47	100.70	464.86

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा जाता है कि मंत्रालय ने ₹ 1,572.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 820 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को स्वीकार किया था तथा ₹ 464.86 करोड़ वसूल किए थे।

अध्याय II

वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा पर सेवा कर

2.1 प्रस्तावना

लगभग प्रत्येक छोटे और बड़े/मैट्रो शहरों में कोचिंग सेंटर मौजूद हैं और प्रति वर्ष ये बढ़ रहे हैं। इस सेवा से प्राप्त सेवा कर राजस्व विव13 में ₹880.09 करोड़ से वि.व 16 में ₹1,950.08 करोड़ तक बढ़ा है जिससे यह स्पष्ट है कि कोचिंग सेंटर का कारोबार प्रतिदिन बढ़ रहा है। विगत तीन वर्षों से इस सेवा की औसत वार्षिक वृद्धि दर केवल लगभग 21 प्रतिशत है जबकि प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का कारोबार उक्त अवधि¹⁶ के दौरान 35 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद थी। चूंकि, यह कार्यकलाप नकद आधार कारोबार है, इसलिए इसमें सरकार के सेवा कर राजस्व के रिसाव की सदा संभावना बनी रहती है।

2.1.1 वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा संबंधित सेवा कर प्रावधान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(26); जैसा कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग (सीटीसी)' को किसी सीटीसी सेंटर द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 65(27) के अनुसार, 'सीटीसी सेंटर' का अर्थ किसी प्रमाणपत्र सहित या रहित और कोचिंग या ट्यूटोरियल क्लास सहित, किसी कौशल या ज्ञान या किसी विषय पर पाठ या खेल के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी संस्थान या सीटीसी उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था से है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 65(105) (जेडजेडसी) आगे प्रावधान करती है कि कर योग्य सेवा का अर्थ है किसी व्यक्ति को सीटीसी, जिसमें अन्य के साथ किसी भी नाम वाले किसी प्रशिक्षण या संस्थान जहां प्रतिफल के लिए प्रशिक्षण या कोचिंग दी जाती है, के संबंध में सीटीसी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली किसी सेवा से है।

¹⁶ <http://assocharm.org./newsdetail.php?id=4050>

1 जुलाई 2012 से सभी सेवाएं जो नकारात्मक सूची (वित्त अधिनियम 1944 की धारा 166 घ) या छूट अधिसूचनाओं के रूप में छूट प्राप्त की गई हैं, को छोड़कर सेवा कर जाल में लाई गई थीं। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी कहती है कि सेवा कर सभी कर योग्य सेवाओं के मूल्य अर्थात् निर्दिष्ट की गई नकारात्मक सूची या छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त, जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करयोग्य क्षेत्र में उपलब्ध या निर्दिष्ट रूप से इस ढंग से संग्रहीत कराने के लिए उपलब्ध है या सहमत है समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर प्रभारित किया जाएगा। नकारात्मक सूची के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सेवाओं की सूची 1 जुलाई 2012 से जोड़ी गई है जिसमें सेवाओं की ये पद्धति शामिल हैं- (i) पूर्व स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या इसी के समकक्ष तक शिक्षा; (ii) इस समय लागू किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के किसी भाग के रूप में शिक्षा और (iii) अनुमोदित व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा;

इस प्रकार, नकारात्मक सूची में शामिल नहीं की गई शिक्षा से संबंधित सेवाओं के रूप में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन पर सेवा कर लगता है:

- i. निजी शिक्षण (प्राइवेट ट्यूशन)
- ii. विदेश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा
- iii. नियोजन सेवाएं
- iv. शैक्षिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाएं जैसे कॉर्पोरेट हाऊस/एमएनसी की भाँति संभावित नियोक्ताओं द्वारा कैंपस नियुक्तियाँ जिनके लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस प्रभारित की जाती है।

1 जुलाई 2012 से लागू दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी द्वारा, निम्नलिखित कर योग्य सेवाएं समय-समय पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अंतर्गत उद्ग्राह्य पूर्ण सेवा कर से छूट प्राप्त हैं;

- (i) कला, संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में सेवाएं
- (ii) (क) सहायक शैक्षिक सेवाएं; या (ख) अचल संपत्ति को किराये पर देना के रूप में सेवा कर से छूट प्राप्त शिक्षा के संबंध में किसी शैक्षिक संस्थान को या द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं।

सहायक शैक्षिक सेवाएं- का अर्थ है चाहे छात्रों या संकाय के लिए कौशल, ज्ञान, शिक्षा या पाठ्यक्रम विषय वस्तु के विकास या अन्य किसी ज्ञान-वर्धन क्रिया कलाप, के संबंध में कोई सेवा या कोई अन्य सेवा जैसे सामान्य रूप में स्वयं शैक्षिक संस्थान करते हैं परंतु जिसे ऐसे संस्थान में प्रवेश, परीक्षा आयोजित करने, सरकार द्वारा प्रायोजित मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए खान-पान या छात्रों के परिवहन, ऐसे संस्थान के अध्यापक या स्टाफ से संबंधित सेवाओं सहित अन्य किसी व्यक्ति से आऊटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना सं. 6/2014-एसटी द्वारा 11 जुलाई 2014 से लागू निम्नलिखित सेवाएं सेवा कर उदग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

- i. अपने छात्रों, अध्यापकों और स्टाफ को शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और
- ii. निम्न के रूप में शैक्षिक संस्थानों को प्रदान की गई सेवाएं
 - क. छात्र, अध्यापक और स्टाफ का परिवहन;
 - ख. सरकार द्वारा प्रायोजित किसी मिड-डे मील योजना सहित खान-पान;
 - ग. ऐसे शैक्षिक संस्थानों में दी गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस कीपिंग सेवाएं;
 - घ. ऐसे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश या परीक्षा लेने से संबंधित सेवाएं

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न पर यह आश्वासन प्राप्त करना था कि क्या:

- (i) कर आधार को बढ़ाने और कर अपवंचन खोजने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- (ii) विभाग में स्थापित प्रक्रियाएं और अनुपालन सत्यापन तंत्र कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर भुगतान और निवेश क्रेडिट की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और सैम्पल

83 संयोजित कार्यकारी कमिश्नरियां थीं जो देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दोनों और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियों से जुड़ी हैं। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, हमने 18 कमिश्नरियों और चयनित कमिश्नरियों के अंतर्गत आने वाली 18 मंडलों और 40 रेंज को चुना। इसके अतिरिक्त, इसमें हमने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 के अनुसार हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा और एक स्थान पर इस विषय पर हमारी सभी आपत्तियों को सूचित करने के लिए पायलट स्टडी के दौरान इस विषय पर निष्कर्ष भी शामिल किये गये हैं।

हमने सूचना/रिकॉर्ड प्राप्त किये जिनके आधार पर कर आधार को विस्तृत, विशेष सेल के कार्य करने, अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के लिए किये गये प्रयास, विवरणियों की संवीक्षा आदि पर बोर्ड के निर्देश के प्रचार के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की जा सकती थी। परंतु कुछ सूचना चयनित कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिसने उस सीमा तक लेखापरीक्षा जांच के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विस्तृत संवीक्षा/विस्तृत जांच के लिए 789 निर्धारितियों के रिकॉर्ड की मांग की परन्तु केवल 549 निर्धारितियों के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त हुए। इस प्रकार, 30 प्रतिशत निर्धारितियों के संबंध में रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने कर आधार विस्तृत करने और विवरणी की संवीक्षा करने के संदर्भ में विभाग की कार्यप्रणाली में कमियां देखीं। हमने 1,005 अपंजीकृत निर्धारिती भी देखें जिसमें से 250 मामलों में, जहां हम निर्धारितियों

की आय की जांच कर सके थे, सेवा कर देयता ₹6.11 करोड़ बनती थी। इसके अतिरिक्त, हमने ₹88.26 करोड़ के राजस्व वाले पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति, ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान आदि के 179 मामले भी देखे।

हमारे द्वारा उल्लिखित 1,184 मामलों¹⁷ में से 1056 मामलों में मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण पुनः संरचना के मद्देनजर निर्धारितियों के क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। मंत्रालय को क्षेत्राधिकार को पता लगाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इन मामलों की जांच करनी चाहिए ताकि इन मामलों के समय बाधित होने के संबंध में मांग से पहले राजस्व को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके।

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे तीन विस्तृत श्रेणियों में चर्चा की गई है:

- सेवा कर आधार को विस्तृत करना
- विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा
- सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारितियों के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच

2.5 सेवा कर आधार को विस्तृत करना

जैसा कि पैरा 2.1 में पहले ही इंगित किया गया है इस क्षेत्र से सेवा कर में तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में सीटीसी क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की काफी अधिक वृद्धि हुई थी। इसलिए, हमने विशेष सेल के सृजन और आय कर, निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) आदि जैसे अन्य स्रोतों से सूचना प्रयोग कर पंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए कर आधार को विस्तृत करने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश की अनुपालन की विशेषतः जांच की। इस संबंध में बोर्ड के विस्तृत निर्देश और उक्त की लेखापरीक्षा जांच के परिणामों पर नीचे चर्चा की गई है:

¹⁷ 1005 (अपंजीकृत निर्धारितियों) + 179 (भुगतान न करने/कम भुगतान आदि)

2.5.1 विभाग के क्षेत्रीय स्थापनाओं से बोर्ड निर्देशों का प्रचार

हमने सेवा कर आधार को विस्तृत करने और निचली इकाईयों द्वारा उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में बोर्ड से प्राप्त अनुदेशों/निर्देशों के संबंध में रिकॉर्ड मांगे (नवंबर 2016 से दिसंबर-2017)। हमें बोर्ड निर्देशों के प्रचार के प्रमाण नहीं मिले जो यह दर्शाता है कि सेवा कर आधार को विस्तृत करने के संबंध में बोर्ड के निर्देश क्षेत्रीय स्थापनाओं को फैलाए नहीं गए थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- आठ कमिश्नरियों¹⁸ ने सूचित किया कि मुख्य कमिश्नर/बोर्ड से न तो कोई निर्देश/निदेश प्राप्त हुए और न ही सीटीसी सेवा प्रदाताओं से संबंधित सेवा कर आधार को विस्तृत करने के संबंध छोटी इकाईयों को अग्रेषित किया गया।
- जबकि चंडीगढ़-II कमिश्नरी ने उत्तर दिया कि विभिन्न निर्देश/निर्देश समय-समय पर निर्धारित आधार को विस्तृत करने के लिए कमिश्नर और मुख्य कमिश्नर द्वारा जारी किये गये थे, परन्तु चयनित मंडल और रेंज ने सूचित किया कि उनको ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।
- मुख्य कमिश्नर, दिल्ली, कोलकता और चेन्नै और एसटी कमिश्नरी कोचीन, हैदराबाद-IV और हैदराबाद ने कर आधार को विस्तृत करने के लिए जारी किये गये निर्देश/निर्देशों से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये। मुख्य कमिश्नर दिल्ली ने अक्टूबर 2014 में सेवा कर दिल्ली जोन की स्थापना को उत्तरदायी बताया।

इसके उत्तर में (अक्टूबर 2017) मंत्रालय ने बेंगलुरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलोर एसटी-I), उदयपुर और दिल्ली पूर्व (दिल्ली एसटी-III) कमिश्नरियों के उत्तर अग्रेषित किये। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि न तो मुख्य कमिश्नर/बोर्ड से कोई निर्देश/निर्देश प्राप्त हुए थे और न ही छोटी इकाईयों को अग्रेषित किये गये थे। बेंगलुरु पश्चिम और उदयपुर कमिश्नरी द्वारा दिये गये

¹⁸ अहमदाबाद एसटी, दिल्ली एसटी-II, चंडीगढ़, लखनऊ मुंबई एसटी-VII, पुणे एसटी, बेंगलोर एसटी-II, और नोयडा एसटी

उत्तर बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के प्रभार पर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर अन्य कमिश्नरियों के संबंध में मौन था।

2.5.2 विशेष सेल का कार्यचालन

बोर्ड निर्देशों के अनुसार, संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के कार्य के लिए प्रत्येक कमिश्नरी में एक विशेष सेल का सृजन किया जाना चाहिए। इस सेल को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के संघ, येलो पेज, स्थानीय प्रकाशनों, अखबार में विज्ञापन, प्रादेशिक पंजीकरण प्राधिकारणों, वेबसाइट, नियामक निकाय, राज्य सरकार विभाग, आयकर विभाग, आरबीआई आदि से सेवा प्रदाता की सूची एकत्र करनी चाहिए और अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय बाजार, मॉल में भी सर्वेक्षण किया जाय। प्रत्येक कमिश्नरी को प्रत्येक वित्त वर्ष में राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया जाता है।

चयनित कमिश्नरियों में हमने जांच की (नवंबर 2016 और फरवरी 2017 के बीच) कि क्या बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन के अनुसार विशेष सेल का सृजन किया गया था। बेंगलोर एसटी-1 और दिल्ली एसटी-111। कमिश्नरियों ने अपने उत्तर नहीं भेजे। अन्य सभी कमिश्नरियों न बताया (जनवरी से फरवरी 2017) कि कमिश्नरियों में विशेष सेल का सृजन नहीं किया गया था। तथापि उनमें से अधिकतर ने बिना कोई सहायक रिकॉर्ड दिये आगे बताया कि अपवंचन-रोधी इकाई उसे देख रही थी। कर आधार को विस्तृत करना राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने और लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए, हमने चयनित कमिश्नरियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की जांच करने का प्रयास किया। तथापि, किसी भी कमिश्नरी ने उच्चतर अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये कर आधार के लिए लक्ष्यों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2017) बेंगलुरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलोर एसटी-1) और दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-111) कमिश्नरियों के उत्तर अग्रेषित किये। बेंगलुरु पश्चिम कमिश्नरी ने सूचना दी कि, विशेष सेल के स्थान पर एक डाटा प्रबंधन सेल का गठन किया गया था, जिसने सीबीडीटी से तीसरी पार्टी के डाटा को संभाला। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि

विशेष सेल, स्टाफ की कमी के कारण सृजित नहीं किया गया था। मंत्रालय का उत्तर निर्धारित लक्ष्यों पर सूचना न भेजने पर मौन था।

इस प्रकार, जैसा कि बोर्ड द्वारा परिकल्पना की गई थी, विशेष सेल विद्यमान नहीं थे अथवा कार्यात्मक नहीं थे।

2.5.3 कर आधार विस्तृत करने के लिए आय कर डाटा का उपयोग करना

सीबीइसी ने महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) (अब डीजी जीएसटी) को एक या अन्य प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने वाले और एक वर्ष में ₹ 10 लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर कि क्या वे विभाग के पास पंजीकृत थे या अपनी विवरणियां भर रहे थे या उनके विवरणियां में उचित मूल्य घोषित किया गया था; आय कर प्राधिकरण से सूचना मंगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में सभी चूककर्ता मामले क्षेत्राधिकार सेवा कर प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई हेतु अग्रेषित किये जाने थे।

हमने चयनित कमिश्नरियों से आय कर विभाग की सूचना के आधार पर डीजीएसटी से चूककर्ता मामलों के विवरण मांगे। प्रतिक्रिया स्वरूप, छः कमिश्नरियों¹⁹ ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना/डाटा लेखापरीक्षा के दौरान डीजीएसटी से प्राप्त नहीं हुआ था। आठ कमिश्नरियों²⁰ ने सूचना दी (जनवरी से फरवरी 2017) कि आयकर विभाग से प्राप्त डाटा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु छोटी इकाइयों को अग्रेषित किया गया था और सीटीसी से संबंधित कोई निर्धारिती नहीं देखा गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बेंगलूरु पश्चिम (तत्कालीन बेंगलूरु एसटी-1) दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-111) तथा कोलकाता एसटी 1 तथा 11 कमिश्नरियाँ के उत्तर (अक्टूबर 2017) भेजे। बेंगलूरु पश्चिम कमिश्नरी ने सूचित किया कि कर आधार बढ़ाने के लिए डाटा प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग की सहायता ली जाएगी। कोलकाता एसटी-1 तथा एसटी 11 कमिश्नरियों ने बताया कि कर आधार बढ़ाने के लिए आयकर डाटा का उपयोग करने के लिए उपयुक्त अनुदेश थे। दिल्ली पूर्व कमिश्नरी ने सूचित किया कि एक वर्ष में

¹⁹ अहमदाबाद एसटी, कोचीन, दिल्ली एसटी-11, लखनऊ, चंडीगढ़-11 और नोयडा एसटी।

²⁰ चंडीगढ़-1, उदयपुर, मुंबई एसटी-VII चेन्नै एसटी-11, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, बेंगलूरु एसटी-11 और पुणे एसटी।

10 लाख से अधिक आय से संबंधित सेवा वाले आयकर निर्धारिती की कोई सूचना/डाटा डीजीएसटी से प्राप्त नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना केवल क्षेत्रीय फोर्मेशन की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भेजा।

2.5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष/कमिश्नरी द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2015 के पैरा 6.11.12 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित निर्धारिती की लेखापरीक्षा के दौरान उन सभी सेवा प्रदाताओं के रिकार्ड संगृहीत करने थे जिन्होंने चयनित निर्धारिती को 10 लाख से अधिक की कर योग्य सेवा प्रदान की थी परन्तु सेवा कर प्रभारित नहीं किया था तथा उस को आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष/लेखापरीक्षा कमिश्नरी को प्रस्तुत किया जिसने उसे आगे संबंधित कमिश्नरी को भेजा।

हमने चयनित कमिश्नरी से पूछताछ की कि क्या तत्कालीन कमिश्नरी अथवा लेखापरीक्षा कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने पंजीकृत निर्धारितियों की लेखापरीक्षा के दौरान उनके द्वारा अभिज्ञात अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं के संबंध में कभी सूचना अग्रेषित की थी। प्रतिक्रिया में, 13 कमिश्नरियों²¹ ने उत्तर दिया कि सीटीसी सेवा प्रदाताओं के संबंध में कोई भी सूचना कार्यकारी कमिश्नरी को नहीं भेजी गई थी। इसके अलावा, चण्डीगढ़-II कमिश्नरी ने बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष से चार निर्धारितियों की एक सूची प्राप्त हुई जो पंजीकृत किये गए थे। तथापि लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सेवा कर निर्धारिती डाटा बेस में इन चार निर्धारितियों को नहीं पाया। चार कमिश्नरियों²² ने अपना उत्तर नहीं भेजा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में कोलकाता एसटी-I तथा एसटी II, बेंगलूरु एसटी-I (तत्कालीन बेंगलूरु एसटी-1) तथा दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली

²¹ अहमदाबाद एसटी, बेंगलूरु एसटी-II, चंडीगढ़-I, चैन्ने एसटी-II, कोचीन, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII, नोएडा एसटी, पूर्ण एसटी और उदयपुर

²² बेंगलूरु एसटी-I, दिल्ली एसटी-III और कोलकाता एसटी-I एवं II

एसटी-III) कमिश्नरियों के उत्तरों को भेजा। दिल्ली पूर्व तथा बेंगलूरू पश्चिम कमिश्नरियों ने बताया कि सीटीसी सेवा प्रदाताओं के संबंध में कोई भी सूचना कार्यकारी कमिश्नरी को नहीं भेजी गई थी। कोलकाता एसटी-I एवं II कमिश्नरियों ने बताया कि यह मामला लेखापरीक्षा कमिश्नरी से संबंधित है।

इस प्रकार मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए प्रणालीगत चूक पर ध्यान दिये बिना केवल कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तरों को भेजा।

2.5.5 सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा स्वतंत्र सत्यापन

आन्तरिक लेखापरीक्षा में सत्यापित निर्धारितियों के आयकर डाटा/रिकार्ड्स का प्रयोग करते हुए सीटीसी क्षेत्र के अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए विभाग द्वारा किए गए शून्य/बहुत कम प्रयासों के मद्देनजर हमने नीचे वर्णित भिन्न-भिन्न डाटाबेस से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए प्रयास किया।

2.5.5.1 कार्पोरेट मामलों (एमसीए) के मंत्रालय का डाटा

हमने एमसीए की वेबसाइटों पर उपलब्ध कम्पनियों/लिमिटेड देयता भागीदारी (एलएलपी) का डाटा तथा आयकर साईट से स्थायी लेखा संख्या (पैन) को डाउनलोड किया। इन पैन संख्याओं का उपयोग करते हुए, हमने विभाग के डाटाबेस से सत्यापित किया कि क्या संबंधित कंपनी/एलएलपी ने सेवा कर पंजीकरण प्राप्त किया था या नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान, हमने देखा कि यद्यपि एमसीए के साथ पंजीकृत सीटीसी सेवाओं में सम्मिलित 613 सेवा प्रदाताओं ने सेवा कर विभाग के पास निर्धारिती के रूप में स्वयं को पंजीकृत नहीं किया।

हमने इनमें से कितनी अपंजीकृत कम्पनियों की प्रति वर्ष 10 लाख की सीमा से अधिक आय थी के निर्धारण के लिए आयकर विभाग से सीटीसी केन्द्रों के संबंध में डाटा की मांग की परन्तु वह प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार हम इन सभी मामलों में सेवा कर देयता निर्धारित नहीं कर सके।

इन 613 अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं में से, 23 सेवा प्रदाताओं के मामलों में, हमने विव14 से विव16 की अवधि हेतु अहमदाबाद तथा जयपुर के कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से डाटा संगृहीत किया जिससे सेवा कर देयता

(परिशिष्टII) की संभावना की विव14 से विव16 के दौरान अपने वित्त विवरण में ₹ 154.59 करोड़ का राजस्व दिखाया था। लेकिन विस्तृत सूचना के अभाव में, हम उनकी सेवा कर देयता की गणना नहीं कर सके।

जब हमने ध्यान दिलाया (नवंबर 2016 तथा मार्च 2017 के बीच में) 12 मामलों सहित 570 मामलों पर जिसमें आरओसी, अहमदाबाद का डाटा उपलब्ध कराया था, में मंत्रालय ने सेवा प्रदाता के वर्तमान पते जैसी सूचनाओं के लिए कहा। इसके अलावा 42 मामलों²³ में मंत्रालय ने बताया कि मामला जांच के अधीन था अथवा निर्धारिती का पता नहीं लगा था तथा एक मामले में बताया कि निर्धारिती ने पंजीकरण ले लिया था। क्या इन इकाईयों को विभाग के साथ पंजीकृत होना जरूरी था या नहीं, इसकी जांच के लिये एमसीए से अधिक जानकारी प्राप्त करने के बजाए मंत्रालय ने हम से अधिक जानकारी मांगी थी। यह स्पष्ट था कि एमसीए के माध्यम से कर बढ़ाने के प्रयासों तथा उसी मंत्रालय के अधीन आयकर विभाग का डाटाबेस प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा था। विभाग का इस ओर ध्यान न देने और विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप मांगों के काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि हो सकती है।

2.5.5.2 अन्य तीसरी पार्टी स्रोत

बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार, विभाग को विभिन्न सेवा प्रदाता संघों, येलो पेज स्थानीय प्रकाशन, समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण, वेबसाइट, विनियामक निकायों, राज्य सरकार विभागों, आयकर विभागों, आरबीआई आदि से सेवा प्रदाताओं की सूची संगृहीत करनी थी तथा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करना एवं उनको पंजीकृत करना था। यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थानीय मार्केट,माल में भी सर्वेक्षण किया जाय।

हमने अन्य स्रोतों यानि विज्ञापनों (प्रिन्ट मीडिया) इन्टरनेट, वेबसाइट, यूजीसी, एआईसीटीई तथा आरबीआई आदि से सीटीसी केन्द्रों के संबंध में सूचना प्राप्त की। हम ने सेवा कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजीकृत निर्धारितियों

²³ 7 मामलों सहित जिनमें डाटा सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा आरओसी, जयपुर से प्राप्त किया गया था।

के डाटाबेस को पेन इंडिया के साथ उस की दुतरफा जांच की तथा पाया कि सीटीसी सेवाओं में लगे 120 सेवा प्रदाताओं²⁴ ने सेवा कर विभाग के पास स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया था।

विशेष सेल के अभाव में तथा अपंजीकृत निर्धारितियों की पहचान करने के लिए इन स्रोतों की खोज करने के लिए विभाग द्वारा किये गए प्रयासों के संबंध में रिकार्डों की अनुउपलब्धता के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने टिप्पणी नहीं की कि क्या अपना कर आधार बढ़ाने के प्रयासों के भाग के रूप में विभाग द्वारा ऐसे स्रोतों की जांच की गई थी।

हमने जब इसे बताया (नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक) तो मंत्रालय ने यह कहते हुए 115 मामलों में कोई अन्तिम उत्तर नहीं दिया कि पश्च जीएसटी कमिश्नरी पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का क्षेत्राधिकार बदल गया था तथा फील्ड फोरमेशन सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और, पाँच मामलों में, बताया गया कि मामला जांच के अधीन है

मंत्रालय की अगली प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

2.5.5.3 जांचे गए निर्धारितियों के रिकार्डस से

चयनियत निर्धारितियों के सेवा कर रिकार्ड की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि पांच कमिश्नरियों²⁵ के अधीन 23 निर्धारितियों ने 272 सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त की जिन्होंने एक वित्त वर्ष में नौ लाख की अवसीमा पार करने बाद भी स्वयं को सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत नहीं कराया। इनमें में से 250 मामलों में जहाँ लेखापरीक्षित निर्धारिती के रिकार्डस से अभिज्ञात आय सेवा कर भुगतान की अवसीमा अर्थात् दस लाख को पार कर गई अपवंचित का सेवा कर ₹ 6.11 करोड़ बनता था। 22 सेवा प्रदाताओं के शेष मामलों में जिनकी आय केवल लेखापरीक्षित निर्धारिती के साथ संव्यवहार से, नौ लाख से अधिक परन्तु दस लाख (सेवा कर के भुगतान की अवसीमा) से कम है, वहां उनकी कुल आय पर देय सेवा कर की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसकी विभाग को जांच करनी अपेक्षित थी।

²⁴ अहमदाबाद एसटी, चंडीगढ़-1, चैन्ने एसटी॥, दिल्ली-III

²⁵ बैंगलोर एसटी-1 और II, दिल्ली एसटी-II, और III, मुम्बई एसटी-VII

इसके अलावा ये सभी मामलें पांच कमिशनरियों में लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए थे जिनमें या तो बताया गया था कि सीसीटी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कोई भी इनपुटस नहीं भेजे गये थे अथवा आन्तरिक लेखापरीक्षा (देखें पैरा 2.5.4) से अपंजीकृत निर्धारितियों के संबंध में इनपुटस की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

यह स्पष्ट रूप से आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित निर्धारितियों के रिकार्ड्स से सेवा प्रदाताओं को पहचानने के मौजूदा अनुदेशों का अननुपालन तथा राजस्व हानि के परिणामी जोखिम को स्थापित करता है।

जब हमने इसे बताया (नवंबर 2016 से फरवरी 2017) तब दिल्ली एसटी-॥ तथा ॥॥ कमिशनरियों ने सूचित किया (मार्च 2017) कि 17 सेवा प्रदाताओं (लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित 112 में से) ने सेवा कर पंजीकरण लिया था तथा सरकार को ₹ 43 लाख बकाया जमा कराया था।

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2017) सेवा प्रदाताओं के वर्तमान क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए सभी मामलों में अधिक जानकारी मांगी। मंत्रालय कार्यकारी कार्य हमसे पूरा करने की अपेक्षा करने के बजाय मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारिती अभिलेखों से सेवा प्रदाताओं की पहचान से संबंधित उसके निर्देशों का पालन करते हैं, के अलावा यह सत्यापित करने कि क्या सेवा प्रदाता विभाग के साथ पंजीकृत करने के दायी थे या नहीं, के लिए उन निर्धारितियों से आगे की सूचना संगृहीत करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश देना अपेक्षित था।, इसके अलावा, दिल्ली एसटी ॥ तथा ॥॥ कमिशनरियों ने हमारे द्वारा दिये गए इनपुटस पर आधारित वसूली सूचित की।

2.6 विवरणियों की संवीक्षा के सम्बन्ध में विभाग के निष्पादन का विश्लेषण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (एसीईएस) के स्वचालन प्रारम्भ के बाद, सिस्टस द्वारा स्वयं विवरणियों की प्रारम्भिक संवीक्षा की जा रही थी। प्रारम्भिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की पूर्णता, समय पर विवरणी का प्रस्तुतीकरण, समय पर शुल्क का भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि

की गणितीय सत्यता, सेनवैट क्रेडिट का अंत एवं अथ शेष आदि को सुनिश्चित करना था। रेंज अधीक्षक को समीक्षा एवं सुधार (आरण्डसी) तथा त्रुटियों में सुधार करना के लिए सिस्टम द्वारा चिन्हित की गई विवरणियों को सत्यापित करना और विवरणियों में संबंधित निर्धारिती से परामर्श करके त्रुटियों यदि कोई हो, में सुधार करना अपेक्षित था।

2.6.1 नॉन/स्टॉप फाइलर्स के प्रति कार्रवाई न करना

हमने (अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017) नॉन/स्टॉप फाइलर्स के विवरण की तथा 18 कमिश्नरियों के चयनित रेंजस से चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की मांग की। आठ कमिश्नरियों²⁶ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी तथा 10 कमिश्नरियों²⁷ ने उत्तर दिया कि विव13 से विव 16 के दौरान इस क्षेत्र के संबंध में निर्धारितियों द्वारा 12,571 देय विवरणियों में से 5,821 विवरणियांस (46.30 प्रतिशत) फाइल नहीं की गई थी। इनमें से, केवल पांच कमिश्नरियों (कोचीन, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता एसटी-I एवं II तथा उदयपुर) ने चूक करने वाले निर्धारितियों पर कार्रवाई आरंभ की। इसके अलावा, पुणे एसटी कमिश्नरी में, हमने एसीईएस डाटा की जांच की कि सभी सेवाओं के लिए निर्धारितियों द्वारा 24688 देय विवरणियांस में से 14,163 विवरणियांस (57.37 प्रतिशत) फाइल नहीं की गई थी परन्तु इन नान फाइलर्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में पाँच कमिश्नरियों की प्रतिक्रियाओं को भेजा था। प्रधान आयुक्त, कोचीन ने बताया कि रेंज अधिकारियों को नॉन/स्टॉप फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया गया था। बेंगलोर एसटी-I तथा एसटी II कमिश्नरी ने बताया कि मामला जांच के अधीन है। दिल्ली पूर्व (तत्कालीन दिल्ली एसटी-III कमिश्नरी) ने बताया कि चूककर्ता निर्धारितियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई थी। मुम्बई एसटी-VII ने बताया कि कमिश्नरी पश्च जीएसटी पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था तथा सही क्षेत्राधिकार पता लगाने

²⁶ कोचीन, दिल्ली एसटी-III, मुम्बई एसटी-VII, पूणे एसटी, नोएडा एसटी, अहमदाबाद एसटी और बेंगलोर एसटी-I और II

²⁷ चंडीगढ़-I और II, चैन्ने एसटी-II, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी-I और II, लखनऊ और उदयपुर

के लिए प्रयास किया जा रहा था। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

2.6.2 देर से भरी गई विवरणियांस पर लंबित शुल्क की उगाही न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7सी प्रावधान करता है कि यदि विवरणियां देय तिथि के बाद फाईल की जाती हैं तो, उपरोक्त विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए दायी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट एक अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन केंद्र सरकार को क्रेडिट करने के लिए बिलंब शुल्क का भुगतान करना होगा जो ₹ 20,000/- पर निर्धारित किया गया था।

हमने 18 कमिश्नरियों की चयनित रेंज से उन निर्धारितियों जिन्होंने अपनी विवरणियांस देय तिथि के बाद फाईल की थी तथा विलंब से भरने के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रतिक्रिया में, 12 कमिश्नरियों²⁸ ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि विव13 से विव16 के दौरान देय 37,079 एसटी-3 विवरणियांस में से, 1,138 विवरणियां देय तिथि के बाद फाईल की गई थी। इनमें से केवल छह कमिश्नरियों²⁹ ने चूककर्ता निर्धारितियों पर विलंब शुल्क की उगाही के लिए कार्रवाई आरंभ की। छह कमिश्नरियों³⁰ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में पाँच कमिश्नरियों (बेंगलोर एसटी-I तथा II, चण्डीगढ़-II, कोचीन तथा दिल्ली एसटी-III) के उत्तरों को भेजा जिसमें बताया गया था कि सीएजी की सूचना पर आधारित विलंब फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

इस प्रकार नमूना जांचित केवल एक तिहाई कमिश्नरियों ने चूककर्ता निर्धारितियों पर विलंब शुल्क की उगाही के लिए अपने आप कार्रवाई की थी।

²⁸ अहमदाबाद एसटी, चंडीगढ़-I, चैन्ने एसटी-II, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी-I और II, लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII पूणे एसटी और उदयपूर

²⁹ अहमदाबाद एसटी, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता एसटी-I और II, पूणे एसटी और उदयपूर

³⁰ चंडीगढ़ II, दिल्ली एसटी-III, नोएडा एसटी, कोचीन, बैंगलोर एसटी-I और II

2.6.3 समीक्षा एवं सुधार (आरण्डसी) हेतु चिन्हित विवरणियों पर कार्रवाई न करना

एसीईएस में, एक बार विवरणी अपलोड हो जाती है तो सॉफ्टवेयर उनकी सही सूचना जैसे कि पंजीकरण संख्या³¹, वर्गीकरण, अधिसूचना, शुल्क की दर, शुल्क भुगतान के लिए प्रयुक्त चालान आदि की जांच करता है। कोई भी कमी जिसका सिस्टम द्वारा समाधान नहीं किया गया है, को आरण्डसी के लिए समीक्षा अधिकारी की स्क्रीन पर भेजा जाता है। विवरणियां समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर जोखिम मानदंडों से गुजरती है तथा जोखिम भरी है अथवा नहीं के रूप में चिन्हित की जाती है। एसी/डीसी आगे की कार्रवाई जैसे युनिट को लेखापरीक्षा के लिये चुनना अथवा अपवंचन रोधी प्रक्रिया आदि पर निर्णय ले सकता है।

हमने 18 चयनित कमिश्नरियों से एससीईएस द्वारा आरण्डसी के लिए चिन्हित विवरणियां तथा इन विवरणियों पर रैंज द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण उपलब्ध कराने की मांग (अक्टूबर 2016 तथा फरवरी 2017) की चार कमिश्नरियों³² ने सूचित किया कि आरण्डसी के लिए 3,908 विवरणियां चिन्हित की गई थी जिनमें से विभाग ने केवल 84 विवरणियां पर कार्रवाई की। इस प्रकार, चिन्हित में से 98 प्रतिशत के द्योतक 3,824 विवरणियां लंबित थे। शेष कमिश्नरियों ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में चेन्नई एसटी-॥, दिल्ली एसटी ॥, लखनऊ तथा पूणे एसटी कमिश्नरियों की प्रतिक्रिया भेजी। चेन्नई एसटी-॥, दिल्ली एसटी-॥ कमिश्नरी ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण, नए अधिकार क्षेत्र का अभी पता लगाया जा रहा था तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पूणे एसटी कमिश्नरी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए एसीईएस की खराब संरचना को लंबितता के लिए जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ कमिश्नरी ने सीएजी लेखापरीक्षा टीम से विव14 से विव16 के लिए एसटी-3 विवरणियां के संबंध में विशिष्ट विवरण की मांग की। अन्य कमिश्नरियों पर मंत्रालय का उत्तर मूक था।

³¹ केवल उन्ही रिटर्न्स के लिए जो ऑफलाईन यूटिलिटी से भरी जाती है।

³² चेन्ने एसटी-॥, दिल्ली एसटी-॥, पूणे एसटी और लखनऊ

इस प्रकार मंत्रालय ने महत्वपूर्ण आरण्डसी तंत्र की असफलता पर कोई राय नहीं ली तथा केवल कुछ कमिश्नरियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को भेज दिया।

2.6.4 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

बोर्ड परिपत्र सं. 185/4/2015- सेवा कर दिनांक 30 जून 2015 के द्वारा विस्तृत संवीक्षा, के लिए युनिटों के चयन विस्तृत संवीक्षा करने तथा उसके परिणाम सूचित करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 18 कमिश्नरियों में से, 11 कमिश्नरियों³³ ने विव13 से विव16 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा पर सूचना प्रस्तुत नहीं की। हम ने सात कमिश्नरियों³⁴ जिन्होंने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित कुल 1,409 विवरणियों में से, विस्तृत संवीक्षा पर अपेक्षित सूचना प्रदान की, में देखा कि विस्तृत संवीक्षा केवल 473 (34 प्रतिशत) निर्धारितियों के संबंध में विभाग द्वारा संचालित की गई थी। हमने देखा कि विस्तृत संवीक्षा के लिए चिह्नित सीटीसी सेवाओं की 43 विवरणियों में से केवल 17(40 प्रतिशत) मामलों में संवीक्षा की गई थी।

हमने इसे बताया (नवंबर 2016 तथा फरवरी 2017 के बीच में) तब उदयपुर कमिश्नरी ने बताया कि सितंबर 2015 तक विस्तृत संवीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं था तथा दिल्ली एसटी-॥ कमिश्नरी की चयनित रेंजो ने उत्तर दिया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2017) में यह सूचित करते हुए कि पाँच कमिश्नरियों³⁵ में कार्रवाई आरम्भ की गई थी/की जाएगी तथा तीन कमिश्नरियों³⁶ में स्टॉफ की कमी तथा युनिटों के आबंटन न होना ठहराकर आठ कमिश्नरियों के उत्तर भेजे। शेष कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

³³ अहमदाबाद एसटी, बैंगलोर एसटी- I और II, चंडीगढ़-॥ कोचीन, दिल्ली एसटी-॥ और III लखनऊ, मुम्बई एसटी-VII, नोएडा एसटी और पुणे एसटी

³⁴ चंडीगढ़- I, चैन्ने एसटी-॥, हैदराबाद-IV, हैदराबाद एसटी, कोलकाता एसटी- I और II और उदयपुर

³⁵ चंडीगढ़ I और II, कोचीन, बैंगलोर एसटी- I और II

³⁶ दिल्ली एसटी- II और III और पूणे एसटी

2.7 सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारितियों के रिकार्डस की विस्तृत जाँच

निर्धारितियों के रिकार्डस की जाँच के दौरान देखे गए निष्कर्ष जैसा आगामी पैराग्राफों में बताया गया विभाग द्वारा इस क्षेत्र में निर्धारितियों की विस्तृत संवीक्षा न करने के प्रभाव को दर्शाते हैं:

2.7.1 सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर की अदायगी न करना

निर्धारितियों के रिकार्डस की विस्तृत जाँच के दौरान, हमने ₹24.96 करोड़ के राजस्व वाले छूट के अनियमित लाभ उठाने, कर योग्य सेवा के अवमूल्यांकन आदि के 52 उदाहरण देखे, जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी। मंत्रालय ने 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि मामला 41 मामलों में जाँच के अधीन है। अभी तक ₹21.49 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

नीचे कुछ मामलों का वर्णन किया गया है:

2.7.1.1 प्रत्यक्ष रूप से सेवा मूल्य को प्रभावी करने वाले अनुदानों पर सेवा कर का भुगतान न करना।

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 6(2)(vii) के अनुसार, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करते हुए सरकार द्वारा वितरित आर्थिक सहायता तथा अनुदान की राशि को शामिल नहीं करता है।

मुम्बई एसटी-VII कमीशनरी में मैसर्स एमटी एजूकेयर लि., ने विभिन्न परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, केपीएससी, कम्प्यूटर कोर्स आदि में बैठने के लिए जनजातीय समुदाय, अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा/विशेष कोचिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों, नगर निगमों से अनुदान प्राप्त किया। चूंकि विभिन्न पड़ावों को प्राप्त करने जैसे विद्यार्थियों के पंजीकरण, पाठ्यक्रम के आंशिक समापन अथवा पूर्ण समापन अथवा प्रति विद्यार्थी के शुल्क की की प्रतिपूर्ति के रूप में पहुँचने पर सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनुदान जारी किए गए थे इसलिए दिए गए

प्रशिक्षण/कोचिंग सेवा के मूल्य से अनुदान प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते थे तथा इस प्रकार सेवा कर के दायी थे। विव14 से विव16 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण एवं कोचिंग के लिए प्राप्त कुल अनुदान ₹40.46 करोड़ था। वित्तीय रिकार्ड के साथ एसटी-3 विवरणियों के मिलान से पता चला कि निर्धारिती ने प्राप्त अनुदानों पर ब्याज सहित ₹7.40 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। जब हमने इसे बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पुर्नगठन के कारण निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था और सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

2.7.1.2 सेवा कर देयता निकालने के लिए प्रदान की गई सभी सेवाओं को ध्यान में न रखना

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 3(ए) के अनुसार मूल्यांकन निर्धारण समान सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि के आधार पर होगा। सेवा कर (मूल्य निर्धारण) का नियम 3 (बी) प्रावधान करता है कि यदि मूल्य नियम 3(ए) के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो मूल्यांकन ऐसे प्रतिफल के समान धन मूल्य के आधार पर होगा जो ऐसी सेवाओं के प्रावधान की लागत से कम नहीं होगा।

मुम्बई एसटी VII कमिश्नरी में मैसर्स इनोवेटिव टेक्नालजी लर्निंग सर्विस लि., (आईटीएलएस), की विस्तृत संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि मैसर्स युनवर्सिटा कमर्शियले “लुङ्गी बोक्कोनी” इटली की एक कम्पनी ने भारत में विदेशी डिग्री कोर्स प्रदान करने के लिए एक करार किया तथा इसके लिए मुम्बई में “नोलिज रिवाइवल एण्ड एक्सपेंशन ट्रस्ट” (केआरटी) नाम के एक न्यास की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, केआरटी को सेवा प्रदान करने के लिए ‘इनोवेटिव टेक्नालजी लर्निंग सर्विस प्रा. लि.’, (आईटीएलएस) नाम की एक कम्पनी की स्थापना उसी परिसर में की गई थी। आईटीएलएस ने सेवा प्रदान करने जैसे शिक्षण सेवाएं, शिक्षण वीडियो की ई- लर्निंग टूल्स तैयार करने, मार्केटिंग तथा कम्प्यूनिकेशन, भर्ती एवं मार्गदर्शन, दाखिले आदि के लिए केआरटी के साथ एक करार किया। करार में आगे यह प्रावधान किया गया कि आईटीएलएस केआरटी को सेवाएं प्रदान करने के लिए मासिक आधार

पर इनवाँइस देगा तथा उस मामले में जो एसटी देय है, तो उसे केआरटी को अलग से प्रभारित किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आईटीएलएस ने केवल संकाय शुल्क के लिए केआरटी को प्रभारित किया तथा उसके लिए सेवा कर की देयता की। आईटीएलएस अन्य सेवाओं जैसे ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग, विज्ञापन, व्यवसायिक समर्थित सेवाएं, व्यवसायिक सहायक सेवाएं, प्रतिभूति सेवाएं, हाऊस कीपिंग सेवाएं, विधिक एवं व्यावसायिक सेवाएं, सनदी लेखाकार सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए केआरटी से कोई राशि प्रभारित नहीं कर रहा था। आईटीएलएस की स्थापना केवल न्यास को सेवा देने के लिए की गई थी तथा वास्तव में कम्पनी उसी कार्य को कर रही थी। जैसा की वार्षिक लेखा में देखा गया इस प्रकार विव14 से विव16 के दौरान कम्पनी में दर्ज सम्पूर्ण व्यय न्यास को प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य के रूप में माना जाना था तथा न कि केवल संकाय शुल्क सम्पूर्ण लागत को प्रतिफल के रूप में समझने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹4.94 करोड़ के सेवा कर की कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था तथा सही अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

2.7.1.3 सेवा कर के भुगतान के लिए सकल मूल्य को न अपनाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(1) के अनुसार, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि होगी।

उदयपुर कमिश्नरी में, मैसर्स मोशन एजुकेशन प्रा. लि. के अभिलेख की जांच के दौरान, यह देखा गया कि निर्धारिती फीस की सकल राशि के बजाय छात्रवृत्ति/रियायत/शुल्क माफी के समायोजन के बाद विद्यार्थियों से संगृहीत शुल्क की निवल राशि पर सेवा कर भुगतान कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप विव16 के दौरान छात्रवृत्ति/रियायत/शुल्क माफी के प्रति समायोजित ₹ 5.17 करोड़ पर ₹ 72.45 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। विव14 तथा विव15 के लिए सेवा कर के कम भुगतान की मात्रा को

निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि हमें विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कम प्रदत्त सेवा कर ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2017) कि एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

2.7.2 प्रति प्रभार/आंशिक प्रति प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न किया जाना

निर्धारिती के रिकार्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमने प्रति प्रभार/ आंशिक प्रति प्रभार प्रणाली के अन्तर्गत ₹ 3.69 करोड़ राजस्व के सेवा कर के भुगतान न किए जाने के 21 मामले देखे जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य थे। मंत्रालय ने छः मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली तथा दो मामलों में अस्वीकार कर दी और बताया कि शेष 13 मामलों में मामलों पर जांच चल रही है। अब तक ₹ 61.23 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

सेवाओं के आयात पर भुगतान न किए जाने के कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) और अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी निर्धारित करती है कि गैर करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से कर योग्य क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी कर योग्य सेवा पर सेवाओं का प्राप्तकर्ता सेवा कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

2.7.2.1 पुणे एसटी कमिश्नरी में मै. सीड इंफोटेक प्रा. लि. ने सेवाओं जैसे प्रोफेशनल सेवा, सदस्यता और सब्सक्रिप्शन, परीक्षा शुल्क, वेबसाइट सेवा आदि के आयात के भाग पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था, परिणामस्वरूप ₹ 86.46 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो कमिश्नरी ने बताया (अप्रैल 2017) कि सीएजी लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसरण में निर्धारिती ने ₹ 24.50

लाख के बकाया सेवा कर का भुगतान (मार्च 2017) कर दिया और शेष प्राप्ियों का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि कमिशनरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, जो कि सही नहीं था, क्योंकि कमिशनरी ने न केवल लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया बल्कि वसूली हेतु कार्रवाई भी आरंभ कर दी थी।

2.7.2.2 बेंगलुरु एसटी-1। कमिशनरी में, मै. मरकरी गोल्डमैन (इंडिया) प्रा. लि. सीटीसी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए कोर्स सामग्री के विकास में सहायता, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए परामर्श, आईपीआर प्रयोग, लाइसेंस प्रयोग आदि के रूप में अपने सहयोगी/सहयोगी इंटरप्राइजेज /समूह कम्पनियों से सेवाएं प्राप्त की। यह देखा गया कि निर्धारिती ने यात्रा लाइसेंस शुल्क के भुगतान, बिक्री कमीशन, कोर्स के लिए निर्धारिती द्वारा प्रदत्त विकसित /विशिष्ट रूप से निर्मित कोर्स सामग्री प्राप्त करने के लिए निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा व्यय किया। चूंकि निर्धारिती द्वारा प्राप्त सेवाएं करयोग्य प्रकृति की थी और गैर करयोग्य क्षेत्र से प्रदान की गईं और कर योग्य क्षेत्र में प्राप्त की गईं थी, इसलिए प्रति प्रभार के अन्तर्गत निर्धारिती की ओर इस पर सेवा कर देय था। कुल सेवा कर की गणना ₹ 13.40 लाख की गई।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसंबर 2016) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि यह मामला जांच के अधीन है।

2.7.2.3 दिल्ली एसटी-1। कमिशनरी में पांच निर्धारितियों के वार्षिक लेखे और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करते समय, हमने देखा कि भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से संवाएं प्राप्त करने के बदले इन निर्धारितियों ने विदेशी मुद्रा में व्यय किया। चूंकि निर्धारिती भारत में स्थित थे, इसलिए इन निर्धारितियों को भारत से बाहर (सेवाओं का आयात) से प्राप्त सेवाओं पर किए गये व्यय पर सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक था, तथापि, इन निर्धारितियों द्वारा ₹ 1.24 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2016 और फरवरी 2017 के मध्य) तो तीन निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और ब्याज सहित ₹ 21.40 लाख का सेवा कर जमा करवा दिया। मंत्रालय ने एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2017) स्वीकार की और बताया कि चार मामलों में मामला जांच के अधीन है।

2.7.2.4 मुम्बई एसटी-V कमिश्नरी में, मै. विल्हेमसन शिप मैनेजमेंट प्रा; लि. ने कोर्स प्रशासन लागत, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन प्रभार प्रशिक्षण खर्चों और सदस्यता तथा अंशदान प्रभारों जैसी सेवाओं के आयात के लिए ₹ 1.51 करोड़ का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया। तथापि, जैसा कि एसटी-3 विवरणियां में देखा जा सकता है निर्धारिती ने इन सेवाओं के आयात के लिए प्रति प्रभार प्रणाली के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.75 लाख के सेवा कर का कम उदग्रहण/भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017³⁷) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और बताया (अक्टूबर 2017) कि ये सेवाएं भारत के बाहर प्राप्त की गईं और इस प्रकार इन पर सेवा कर देय नहीं था।

मंत्रालय का केवल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन प्रभार के अतिरिक्त सभी सेवाओं के लिये जवाब स्वीकार्य है जिस पर निर्धारिती ने ₹ 1.14 करोड़ व्यय किये थे। इस राशि में मैरीटाईम परिचालन के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर संबंधी खरीद के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क के रूप में विल्हेमसन समुह द्वारा भुगतान की गई कुल कीमत में से निर्धारिती को प्रभारित भाग को दर्शाया। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि उसके द्वारा उपभोग की गई सेवा का मूल्य दर्शाती है। अतः ये सेवाएं निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त की गईं और इन पर सेवा कर देय था।

³⁷ रिकॉर्डों की उपलब्धता में देरी के कारण लेखापरीक्षा को अप्रैल 2017 तक आगे बढ़ाया गया।

2.7.3 सेनवैट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, सेवा प्रदाता, जो दोनो करयोग्य और छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान करता है, को इनपुट/सेवाओं की प्राप्ति और प्रयोग के लिए अलग अलग लेखा बनाने चाहिए। अलग-अलग लेखा नहीं बनाने वाला सेवा प्रदाता, उसके पास सभी इनपुट/इनपुट सेवाओं पर पूर्ण सेनवैट प्राप्त करने का विकल्प है, इस पर बिना विचार किए ही क्या वे करयोग्य या छूट प्राप्त आउटपुट सेवा से संबंधित है और तब छूटप्राप्त आउटपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट का आनुपातिक प्रति किया जाए। निर्धारिती को इस विकल्प का प्रयोग करने की अपनी इच्छा की सूचना क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को देनी चाहिए। नियम 6(3ए)(बी) मासिक आधार और वार्षिक आधार पर अंतिम प्रति पर छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त सेनवैट क्रेडिट के अस्थायी प्रति का प्रावधान करता है। अस्थायी प्रति पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के आधार पर किया जाना है।

निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमें सेनवैट क्रेडिट के गलत प्राप्त करने सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अन्तर्गत राशि का भुगतान न करने आदि के ₹ 10.55 करोड़ के राजस्व वाले 47 मामले देखे जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य थे। मंत्रालय ने 10 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि 37 मामलों में जांच चल रही थी। अब तक ₹ 1.30 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

कुछ मामलो का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

2.7.3.1 हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में मै. टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की एसटी-3 विवरणियां की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव15 से विव16 की अवधि के लिए छूट प्राप्त सेवाओं में या के प्रावधानो के संबंध में इनपुट और इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के समान राशि के भुगतान करने के विकल्प का चयन किया। तदनुसार एसटी-3 विवरणियां में प्रति के लिए देय राशि प्रस्तुत की गई थी लेकिन यह राशि सेनवैट रजिस्टर में से डेविट नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं हुआ/कम हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी के मद्देनजर पुर्नसंरचना के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया और उसके सही अधिकार क्षेत्र की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.7.3.2 मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में मै. व्हिशलिंग वुड्स इंटरनेशनल लिमि. मनोरंजन क्षेत्र के फील्ड में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत था जो करयोग्य थीं, इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों जैसे टीआईएसएस (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस) की ओर से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, एक छूट प्राप्त सेवा है। निर्धारिती ने सामान्य सेवाओं नामतः प्रोफेशनल शुल्क, सुरक्षा सेवा आदि पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग सेवा कर देनदारी पूर्ण करने के लिए किया। चूंकि निर्धारिती करयोग्य और छूटप्राप्त दोनों सेवाएं प्रदान कर रहा था, और कोई पृथक लेखा नहीं बनाए गए इसलिए विव14 से विव16 के लिए ब्याज सहित ₹ 91.26 लाख के आनुपातिक सेनवैट क्रेडिट का प्रति किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो निर्धारिती ने ₹ 12.82 लाख की राशि नकद भुगतान कर दिया और ₹ 78.44 लाख की शेष राशि का प्रति/वसूली अभी होनी है। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी के मद्देनजर पुर्नसंरचना के कारण, निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र बदल गया था और सही क्षेत्राधिकार पता करने के प्रयास किए जा रहे।

2.7.3.3 सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) के अपवाद खंड (सी) के अनुसार आउटडोर क्रेडिटिंग, यदि प्राथमिक रूप से किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी द्वारा उपभोग की जाती है, तो यह इनपुट सेवा नहीं है।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में हमने देखा कि मै. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने विव16 के दौरान आउटडोर क्रेडिटिंग जो उसके छात्रों, कर्मचारियों और अन्य मेहमानों द्वारा उपभोग की गई थी, पर ₹ 74.89 लाख का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। गलत प्रकार लिया गया सेनवैट क्रेडिट ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि शीघ्र ही एससीएन जारी किया जाएगा।

2.7.4 सीटीसी निर्धारितियों द्वारा अन्य सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना/कम भुगतान

व्यवसायिक कोचिंग और प्रशिक्षण केंद्रों में संलग्न निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच करने पर ₹ 48.24 करोड़ के राजस्व सहित जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था, वाले विभिन्न करयोग्य सेवाओं (सीटीसी के अतिरिक्त) के अन्तर्गत सेवा कर के भुगतान न किए जाने के 45 मामले हमने देखे। मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली, नौ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति अस्वीकार कर दी और बताया कि शेष 34 मामलों में जांच चल रही है। अब तक ₹ 6.56 लाख की वसूली सूचित की गई थी।

कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

2.7.4.1 आईटी परियोजना हेतु प्राप्त अनुदानों पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना

सेवा कर (मूल्यनिर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 6(2)(vii) के अनुसार, करयोग्य सेवा के मूल्य सरकार द्वारा संवितरित सब्सिडी और अनुदान की राशि को शामिल नहीं करता है और न ही सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि सरकार से प्राप्त सब्सिडी और अनुदान सेवा के मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तो यह सेवा कर के अध्यक्षीन होंगे।

सेवा कर कमिश्नरी पूणे में मै. सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक) ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के विकास सूचना प्रौद्योगिकी के जागरूकता कार्यक्रम और बौद्धिक संपदा आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों के (डाईटी) निष्पादन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता किया जिसके लिए डाईटी ने अनुदान जारी किए थे। चूंकि ये अनुदान सीडैक द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतः वे उपर्युक्त नियमानुसार सेवा कर योग्य हैं। लेकिन लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 से विव16 के

दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 241.42 करोड़ के अनुदानों के प्रति ब्याज सहित ₹ 45.65 करोड़ का सेवा कर लगाया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया (अक्टूबर 2017) कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान करयोग्य सेवा नहीं थी और अतः सेवा कर के योग्य नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियम में सेवा के उद्देश्य पर आधारित किसी विभेद का प्रावधान नहीं किया गया।

2.7.4.2 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

किसी कार्य से अलग होने की बाध्यता पर राजी होने या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करने या किसी कार्य करने को यथा संशोधित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई के अन्तर्गत घोषित सेवा के रूप में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध किए गए हैं।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में हमने देखा कि एक राज्य निजी विश्वविद्यालय³⁸ के रूप में स्थापित अहमदाबाद शिक्षा समिति (एईएस) द्वारा प्रोन्नत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

एयू और एईएस ने मै. युनिकैम लेबोरेट्रीज लिमि. (यूएलएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसके अनुसार, यूएलएल चरणों में ₹ 15 करोड़ देगा वशर्ते एयू तथा एईएस अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति और डीन के चयन में यूएलएल के प्रतिनिधियों को शामिल करने जैसे अधिकार यूएलएल को प्रदान करेंगे। इस समझौते ने एयू पर दानकर्ता के सुझाव के अनुसार स्कूल प्रबंधन का नाम रखने उसका नाम सभी कार्यक्रमों /कार्यकलापों /सांविधिक प्रचार सामग्री आदि में प्रकाशित करने की बाध्यता भी डाल दी। विव14 से विव16 के दौरान निर्धारिती को यूएलएल से ₹ 7 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। चूंकि इस लेनदेन में उपर तथा स्पष्ट विशेष कार्य करने की

³⁸ गुजरात निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत

बाध्यता शामिल थी, अतः यह घोषित सेवा की परिधि के अन्तर्गत आयेगा, जिस पर ₹ 90.80 लाख का सेवा कर लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसके अतिरिक्त एयू और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिजाइन रिसर्च अहमदाबाद में उन्नतिशील व्यवसाय डिजाइन के लिए वेंचर स्टूडियो के नाम से एक केन्द्र स्थापित करने को सहमत हो गए। वार्षिक आवर्तक लागत की पूर्ति के लिए, एयू ने मुंबई स्थित चार दानकर्ताओं³⁹ के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जिसके द्वारा इन पार्टियों ने वेंचर स्टूडियो के आरम्भ होने से अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए ₹ 10.60 करोड़ की राशि दान करने की इच्छा व्यक्त की, जो कि इन सभी में बराबर-बराबर विभाजित होगी। उपरोक्त दान पर विचार करते हुए, समझौता ज्ञापन ने एयू/वेंचर स्टूडियो को (क) दानकर्ताओं का नाम वार्षिक रिपोर्ट और वेंचर स्टूडियो के प्राकशनों में समुचित प्रकार से प्रकाशित/मान्यता प्रदान करने; (ख) उद्यम इक्विटी (अर्थात् बिना कोई नया मौद्रिक भुगतान किये) के रूप में समान अनुपात में दानकर्ताओं को उत्पादों या सेवाओं के वाणिज्यिक लोकापण पर वेंचर के इक्विटी पूंजी के 33.33 प्रतिशत पूंजी शेयर उपलब्ध कराना, (ग) सलाहकार मंडल और प्रबंधन समिति में दो सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दानकर्ताओं को देने की बाध्यता आ गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 से विव16 के दौरान, निर्धारित को दानकर्ताओं से ₹ 5.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। धारा 66ई के अन्तर्गत घोषित एक सेवा, जिस पर ₹ 73.04 लाख का सेवा कर लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

2.7.4.3 मध्यवर्ती सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राप्त कमिशन पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना।

‘सेवा के प्रावधान के स्थान, नियमावली 2012 के नियम 9 (सी) के अनुसार मध्यवर्ती सेवाओं के लिए सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 2 (एफ) के अनुसार,

³⁹ मै. जे.एम फाईनेशियल ग्रुप, मै. ईनाम ग्रुप, मै. असितकोटिका फाउंडेशन, तथजा मै. दमन एस्टेट एंड फाइनेस प्रा. लिमिटेड

‘मध्यवर्ती’ का अर्थ एक ब्रोकर, एक एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे जो भी नाम हो, जो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सेवा (मुख्य सेवा) के प्रावधान की व्यवस्था या वस्तुओं की आपूर्ति करता है, लेकिन वह व्यक्ति शामिल नहीं होता जो मुख्य सेवा उपलब्ध कराता है या अपने नामे वस्तुओं की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 14 के अनुसार, जहां सेवा का प्रावधान, प्रथम दृष्टया, एक से अधिक नियम के अनुसार निश्चय है, वहां इसे नियमों जो समान प्रतिफल अर्जित करता है, के बीच नियम जो बाद में आता है, के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में, मै. कैरियर मोसेक प्रा.लि. विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ‘अधिकारिक परामर्शदाता व्यक्ति’ के रूप में पंजीकृत था। समझौते के अनुसार तो निर्धारिती को संबंधित विश्वविद्यालय से कमीशन प्राप्त किया यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है और कम से कम एक टर्म तक पढ़ाई करता है। यह देखा गया कि विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त ऐसे कमीशन पर उसे ‘सेवा का निर्यात’ मानकर निर्धारिती ने निर्यात लाभ अर्जित किए। यह सेवा वास्तव में ‘मध्यवर्ती सेवा’ थी जिसके लिए सेवाओं के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान अर्थात् उपरोक्त नियम 9(सी) के अंतर्गत यथा निर्धारित निर्धारिती था और करयोग्य था। अतः यह सेवा मध्यवर्ती सेवा थी, जिस पर वि.व 14 से वि.व 16 के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों से कमीशन के रूप में निर्धारिती अर्जित ₹ 7.45 करोड़ की आय पर ₹ 89.32 लाख का सेवा कर देने का दायी था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तो मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एसीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

2.7.4.4 परामर्श सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न किया जाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(92) के अनुसार, वैज्ञानिक या तकनीकी कंसल्टेंसी का अर्थ विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी के एक या अधिक शिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीकी तन्त्र या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्थानया संगठन द्वारा किसी तरह या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई सलाह परामर्श या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता से है।

चेन्नई एसटी-III कमिश्नरी में, मै. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, (आईआईटी-एम) शिक्षा सेवाओं के अतिरिक्त कंसल्टेंसी सेवाएं, प्लेसमेंट सेवाएं, अतिथि गृह सेवाएं प्रदान कर रहा था। आईआईटी-एम को विव14 से विव16 की अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का दायित्व लेने के लिए सरकारी विभागों और निजी उद्योगों दोनों से अनुदान प्राप्त हुए थे। संस्थान ने इन परियोजनाओं को दो समूहों नामतः (I) कंसल्टेंसी परियोजनाएं और (II) प्रायोजित परियोजनाएं वर्गीकृत किया। आईआईटी-एम कंसल्टेंसी परियोजनाएं जो कि निजी उद्योगों और कॉर्पोरेशन से निधिबद्ध थी, के अन्तर्गत समूहगत परियोजनाओं से संबन्धित आय पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था। तथापि, उन्होंने सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियों से निधिबद्ध प्रायोजित परियोजनाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इन परियोजनाओं की करदेयता अथवा अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए प्रायोजित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं की नमूना जांच की जिन पर आईआईटी-एम द्वारा कोई कर नहीं दिया गया था। इन 12 प्रायोजित परियोजनाओं संबंधी रिकॉर्डों यथा समझौतों स्वीकृति पत्रों आदि की जांच से पता चला कि इन परियोजनाओं के माध्यम से आईआईटी-एम ने या तो निधियन एजेंसी या तीसरी पार्टी को सेवाएं प्रदान की थी। शर्तों और निबंधनों के अनुसार उपर्युक्त वित्तपोषित कार्यक्रमों ने या तो प्रायोजकों को अथवा तीसरी पार्टियों को परियोजनाओं के परिणाम अथवा तकनीकी जानकारी पर प्रतिफल तथा अधिकारों के स्थानान्तरण को अपरिहार्य बना दिया। इस प्रकार ये वित्तपोषित कार्यक्रम सेवा के रूप में अर्हक थे। इसलिए ये 12 परियोजनाएं सेवा कर की दायी थीं।

संस्थान ने विव14 से विव16 की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के प्रति ₹ 23.86 करोड़ की राशि सेवा आय के रूप में प्राप्त की, जिसमें ₹ 2.87 करोड़ की सेवा कर देयता (उपकर आदि सहित) शामिल थी जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2017) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी की पुनर्संरचना के कारण निर्धारिती का

क्षेत्राधिकार बदल गया और उसके सही क्षेत्राधिकार का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

2.7.4.5 व्यय की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर का न लगाया जाना/भुगतान न करना

बोर्ड ने वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से स्पष्ट किया कि, वित्त अधिनियम, 1994 में धारा 67 के खंड (ए) की व्याख्या को प्रतिस्थापित करते हुए ऐसी परिस्थितियों के अलावा, और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसा भी निर्धारित हो करयोग्य सेवा उपलब्ध कराने के दौरान या राजी होने पर कोई भी प्रतिपूर्तियोग्य व्यय या सेवा प्रदाता द्वारा व्यय लागत और प्रभार, प्रतिफल में शामिल होते हैं। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के अन्तर्गत व्याख्या में प्रतिस्थापन पहले से ही मौजूद प्रावधानों का स्पष्टीकरण है।

मुम्बई एसटी-V कमिश्नरी में मै. विलहेमसन शिप मैनेजमेंट प्रा. लि. ने विव14 से विव16 के दौरान अपने संबंधित पक्षों से एचएसईक्यू (स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण और गुणवत्ता), वैश्विक सहयोग, प्रशिक्षण, क्रू माईनिंग, और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹ 18.56 करोड़ की राशि व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त की। चूंकि व्ययों की प्रतिपूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यय की गई लागत की प्रतिपूर्ति ही थी। इसलिए उस पर सेवा कर लगाया जाना था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। उपर्युक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति पर सेवा कर लगाने और भुगतान करने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.61 करोड़ अनुमानित के कम सेवा कर का कम भुगतान हुआ था। प्रतिपूर्ति के विवरणों के अभाव में सही कर प्रभाव का परिकलित नहीं किया जा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017⁴⁰) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2017) को अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह राशि भारत से बाहर प्रदान की गई सेवा से संबंधित है और इसलिए इस पर कोई सेवा कर देय नहीं है।

⁴⁰ अभिलेख प्रस्तुत करने में देरी के कारण लेखापरीक्षा को अप्रैल 2017 तक आगे बढ़ाना पड़ा

क्रू माइनिंग सेवा जिसके प्रति निर्धारिती को ₹ 15.15 करोड़ प्राप्त हुए थे, के अतिरिक्त सभी सेवाओं के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य था। इन सेवाओं में कर्मिदल के चयन और भर्ती/भर्ती प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना सहित नौकरी से पूर्व साक्षात्कार और संदर्भ जांच, चिकित्सीय जांच पास किया जाना सुनिश्चित करना, कर्मिदल के रिकार्डों का रखरखाव आदि शामिल था, जो स्पष्ट रूप से श्रमबल भर्ती सेवा/ व्यवसाय सहायता सेवा की परिधि में आता है और केवल भारत में ही प्रदान किया गया था।

2.7.4.6 सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान का अननुपालन

सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 के नियम 9(बी) के अनुसार ऑनलाईन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस अथवा रीट्रिवल सर्विसेस के मामले में सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(2) के अनुसार, जहां प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि देय सेवा कर सहित है वहां ऐसी करयोग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी, जो देय कर की वृद्धि के साथ प्रभारित सकल राशि के समान हो। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता को सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 5(2) में वर्णित आठ शर्तों के सेट को एक सही एजेंट के रूप में पूर्ण करना होगा और करयोग्य मूल्य से सही एजेंट के रूप में किए गए व्यय को हटा देना होगा।

पुणे एसटी कमिश्नरी में, मै. सीड इंफोटेक प्रा. लि. ने ऑस्ट्रेलिया स्थित प्रोमेट्रिक इंक, मैरीलैंड के साथ अनुमोदित प्राधिकृत प्रोमोट्रिक टेस्टिंग सेंटर के परिचालन के एकल उद्देश्य के लिए परीक्षाएं संचालित करने में प्रयुक्त उनके टेस्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, का उपयोग करने के लिए समझौता किया। निर्धारिती सेवाओं के लिए छात्रों/उम्मीदवारों से शुल्क संग्रहीत करेगा। निर्धारिती के पास दो प्रकार के ग्राहक थे अर्थात कॉरपोरेट ग्राहक और व्यक्तिगत छात्र। निर्धारिती ने केवल कॉरपोरेट ग्राहकों को दिए गए बिलों पर सेवा कर उदग्रहीत किया जबकि अपने आप को प्योर एजेंट के रूप में मानकर सेवा कर उदग्रहीत किए बिना छात्रों के बिल जारी किए। निर्धारिती ने एक ही मामले में दो अलग रूख अपनाएं अर्थात एक कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए और दूसरा नियमित व्यक्तिगत छात्रों के लिए। चूंकि व्यक्तिगत छात्रों की इस श्रेणी

के बिलों में सेवा कर अलग से नहीं लगाया गया था, इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विव14 से विव16 के बीच ₹ 6.32 करोड़ की प्राप्तियों में सेवा कर शामिल था और निर्धारिती ब्याज सहित ₹ 1.19 करोड़ के सेवा कर के भुगतान हेतु दायी था।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति अस्वीकार कर दी और बताया (अक्टूबर 2017) कि निर्धारिती ने भारत में अपनी सेवाओं के प्रचार के लिए प्योर एजेंट के रूप में कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की क्योंकि उन्होंने प्रमोट्रिक के लिए और उनकी ओर से परीक्षा संचालित की और प्रमोट्रिक की ओर से शुल्क एकत्रित की और प्रमोट्रिक को प्रेषित की। इस प्रकार वे भारतीय छात्रों के साथ-साथ कॉरपोरेट ग्राहकों से प्राप्त शुल्क पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी नहीं थे, लेकिन फिर भी अनजाने में उन्होंने कॉरपोरेट ग्राहकों से उदग्रहित बिलों पर सेवा कर का भुगतान किया।

निर्धारिती उक्त उद्धरित नियम 5(2) में निर्धारित सभी निबंधनों को नहीं कर रहा था, क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से तीसरे पक्ष को कोई भुगतान नहीं किया गया और इसके विपरित सेवा प्रदाता तीसरे पक्षों से भुगतान अर्थात् सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से छात्रों से शुल्क एकत्रित कर रहा था। सेवा प्राप्तकर्ता की ओर से तीसरे पक्षों से कोई सेवा प्राप्त नहीं की गई थी। तीसरे पक्षों को किए गए भुगतानों के लिए जारी बीजकों में न तो कोई अलग से संकेत दिया गया और नहीं तीसरे पक्षों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत की वसूली निर्धारिती द्वारा की गई। अतः सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के प्योर एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। इस प्रकार मंत्रालय का प्रतिवाद कि निर्धारिती प्योर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट ग्राहकों पर अनजाने में भरे गए सेवा कर के भुगतान संबंधी मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि निर्धारिती इन प्राप्तियों पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था।

2.7.5 ब्याज का भुगतान न करना/कम करना

वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 75 यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने का दायी है, जो निर्धारित अवधि में केन्द्र सरकार के खाते में कर या उसका भाग क्रेडिट करने में असफल रहता है, ऐसे कर या उसके किसी भाग के क्रेडिट होने में हुए विलंब की अवधि के लिए उसे निर्धारित दर (छह माह तक 18 प्रतिशत की दर से दह माह से एक वर्ष तक 24 प्रतिशत की दर से और एक वर्ष से अधिक के लिए 30 प्रतिशत की दर से) पर भुगतान करना होगा।

निर्धारितियों के रिकॉर्डों की विस्तृत जांच के दौरान हमने ₹ 82 लाख के मौद्रिक मूल्य के सेवा कर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान नहीं करने/कम किए जाने के 14 मामले देखे। लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर तीन निर्धारितियों ने ₹ 8.18 लाख का भुगतान किया। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मामला जांच के अधीन था।

एक मामले का वर्णन निम्नानुसार है:

अहमदाबाद कमिश्नरी में हमने देखा कि, मै. एन्डेवर कैरीयर्स प्रा. लि. ने सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 42.85 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि जीएसटी की पुनसंरचना के मद्देनजर निर्धारितों का क्षेत्राधिकार बदल गया और उसके सही क्षेत्राधिकार का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.8 निष्कर्ष

सीटीसी क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, कराधार को बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयास अपर्याप्त थे। लेखापरीक्षा द्वारा स्वतंत्र प्रमाणन से यह साक्ष्यांकित होता है कि इसके कारण राजस्व हानि की संभावना है। विवरणियों की संवीक्षा के संबंध में विभाग का प्रदर्शन भी कमतर पाया गया था। जैसा कि निर्धारितियों के अभिलेखों की

जांच के दौरान देखा गया। छूटों के गलत दावे, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित उपयोग और करयोग्य सेवाओं पर सेवा कर के छिपाव की गुंजाइश छोड़ते हुए कर योग्य तथा कर-मुक्त सेवाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं था। सेवाओं के आयात के मामले में प्रति प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना भी देखा गया था। कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर से बचाव जैसे कि निर्धारिती के अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान देखा गया है। सेवाओं के आयात के मामले में यह भी देखा गया कि प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ था।

अध्याय III

नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

3.1 प्रस्तावना

सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों का वर्णन करती है और भारत की समेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की सीएजी से अपेक्षा करती है, और यह सन्तुष्ट करने के लिए कि नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुरक्षित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं और उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों की हमारी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हमारे अधिदेश को पूरा करने के लिए हम निर्धारिती के अभिलेखों को सत्यापित करते हैं जो कर गणना का आधार बनते हैं जो स्वयं निर्धारण के युग में निर्धारिती को मौजूदा नियमों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की प्रभाविकता की जांच करता है। उनकी संविक्षा, लेखापरीक्षा कर आधार विस्तार आदि करने में विभाग की विशिष्ट असफलता पर आपत्तियां आदि को आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता पर पृथक अध्याय में सूचित की जाती है और विभाग द्वारा संवीक्षित अथवा लेखापरीक्षित नहीं किये जाने के मामले में निर्धारिती द्वारा अननुपालन पर आपत्तियाँ अथवा "नियमों और विनियमों के अननुपालन" शीर्षक के अन्तर्गत पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

हमने (i) सेवा कर के भुगतान (ii) सेनवैट क्रेडिट के लाभ प्राप्त करने और (iii) ब्याज के भुगतान से संबंधित अनियमितताओं को प्रत्येक वर्ष बताते हुए आ रहे हैं और यह देखा गया है कि यह अनियमितताएं लगातार हैं क्योंकि आपत्तियों की समान प्रकृति लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष में बताई जाती है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

तालिका: 3.1

(₹ करोड़ में)

आपत्तियों की प्रकृति	2013-2014		2014-2015		2015-2016	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
सेवा कर भुगतान न करना	37	12.56	47	186.50	76	82.36
सेवा कर का कम भुगतान	12	46.05	19	6.39	16	19.68
सेनवैट क्रेडिट	23	43.35	20	9.99	15	14.25
ब्याज	8	17.32	11	4.70	4	1.94
कुल	80	119.28	97	207.58	111	118.23

मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए केवल व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तिगत निर्धारिती से राशि को वसूल करने अथवा उक्त के लिए मांग नोटिस जारी करते हुए केवल सुधारात्मक कार्रवाई करता है लेकिन निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर को सुधारने के लिए स्थापित प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि हम पुनः वर्तमान रिपोर्ट में ₹ 92.61 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले सेवा कर/ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान और सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने और उपयोग करने के 92 मामलों को फिर बता रहे हैं। मंत्रालय को प्रौद्योगिकी का उपयोग और डाटा बेस के एकीकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने ऐसे कर उद्ग्रहण और संग्रहण प्रणाली स्थापित की हैं, जिससे निर्धारिती का अननुपालन होना मुश्किल हो जाएगा।

वर्तमान रिपोर्ट में शामिल 92 मामलों में से 80 मामले जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और वसूलियों की गई/वसूलियों की कार्यवाही आरम्भ की गई, **परिशिष्ट-III** में उल्लेखित हैं और 12 मामलों पर निम्नलिखित दो मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत इस अध्याय में चर्चा की गई है:

- सेवा कर का भुगतान न करना
- सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना

3.2 सेवा कर का भुगतान न करना

3.2.1 छूट का गलत लाभ उठाना

3.2.1.1 वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं पर गलत छूट

मेगा छूट अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के पैरा 14 के अनुसार रेलवे से संबंधित मूल कार्यों के निर्माण, उत्थापन शुरू करना या स्थापित करने की सेवाएं सेवा कर से मुक्त हैं। इसके अलावा सेवा कराधान बोर्ड द्वारा जारी 'एक शिक्षा निर्देशिका' के पैरा 7.11.11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सड़क हवाईअड्डे, रेलवे आदि के निर्माण वाली परियोजनाओं के संबंध में सेवाएं प्रदान कर रहा है जो ऐसे निर्माण के संबंध में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त हैं तो मेगा छूट में निर्धारित प्रविष्टियों का लाभ ऐसे व्यक्ति को जब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उप ठेकेदार के क्रियाकलाप स्वयं छूट के दायरे में नहीं आते हैं। यह महत्व समझा जाए कि जो छूट में प्रयुक्त शब्दों "सड़क के निर्माण के माध्यम द्वारा सेवाएं आदि हैं" और सड़क के निर्माण के संबंध में सेवाएं आदि नहीं हैं।

पटना कमिश्नरी में मै. स्पीडक्राफ्ट लि. ने मै. फूलटॉस हार्सको रेलस साल्यूशन प्रा. लि. से वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं को देने (जनवरी 2014 से मार्च 2014) के लिए ₹ 3.78 करोड़ प्राप्त किए। निर्धारिती ने ₹ 46.76 लाख के सेवा कर और शिक्षा उपकर का भुगतान इस आधार पर नहीं किया कि कार्य का क्षेत्र उक्त अधिसूचना के अनुसार रेलवे से संबंधित निर्माण, उत्थापन शुरू करना अथवा स्थापना अथवा मूल कार्य आदि के माध्यम सेवाओं शीर्ष के अन्तर्गत आता है और इस प्रकार सेवा कर भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की सेवाएं मुख्य सेवा से संबंधित हैं और रेलवे के निर्माण, उत्थापन, स्थापना अथवा शुरूआत करने के रूप में नहीं और अतः शिक्षा निर्देशिका के पैरा 7.11.11 के अनुसार कर मुक्त नहीं है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सेवाओं के लिए रेलवे से सेवा कर और शिक्षा कर प्रभारित किया। जब रेलवे अधिकारियों को बिलों को सीधे प्रस्तुत किया था लेकिन जब बिलों को उसी सेवा के लिए मै. फूलटास हार्सको रेलस साल्यूशन प्रा.लि. (एक संयुक्त उद्यम कंपनी मै. स्पीड क्रफ्ट लि.) को प्रस्तुत किया गया तो इन्हें कर मुक्त माना गया था।

जब हमने इसे बताया (मई 2015) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2017) कि निर्धारिती को ₹ 2.81 करोड़ का एससीएन जारी किया जा रह था। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.1.2 सफाई सेवाओं पर गलत छूट

कृषि बागवानी/दुग्ध /शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरण अथवा जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता बचाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अथवा झुग्गी झोपड़ी सुधार और उन्नयन के रूप में शासकीय प्राधिकरण को दी जाने वाली सेवाओं⁴¹ को छोड़ कर, सफाई सेवा कर योग्य सेवा है।

चण्डीगढ़ -। कमिश्नरी में मै. पुंज सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रा. लि. ने मै. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. (भेल) को जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान सफाई सेवाएं दी थी और ₹ 2.49 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। क्योंकि निर्धारिती ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान को सफाई सेवाएं दी थी जिन पर छूट नहीं थी इसलिए वह उक्त राशि पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी था। परन्तु निर्धारिती द्वार न तो एसटी-3 विवरणियां में उक्त राशि को दिखाया और न ही सेवा कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.78 लाख के सेवा कर और ₹ 8.71 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ (फरवरी 2016 तक)।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2016) तब कमिश्नरी ने बताया कि (फरवरी 2016) निर्धारिती से तथ्यों के सत्यापन करने के बाद उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय का उत्तर और कमिश्नरी द्वारा की गई आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी(अक्टूबर 2017)।

3.2.2 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धाररा 66(ई)(ई) के अनुसार किसी कार्य से बचना अथवा किसी कार्य या स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए अथवा कोई कार्य करने के लिए दायित्व को स्वीकार करना घोषित सेवा है।

⁴¹ सेवाओं की श्रृणात्मक सूची और मेगा छूट अधिसूचना सं. 25/2012 दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार

इसके अलावा, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 6(2)(vi) के अनुसार यदि किसी अप्रत्याशित कार्रवाई के कारण कोई दुर्घटना क्षति होती है तो उक्त राशि सेवा के कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं होगी। करार, अनुबंध अथवा एमओयू की शर्त के उल्लंघन के कारण निर्णीत हर्जाने उत्पन्न होते हैं। यदि उक्त क्षतियां अप्रत्याशित कार्रवाइयों के कारण नहीं हुई हैं तो इसे प्रतिफल के रूप में माना जाएगा और सेवा कर लागू होगा।

हैदराबाद-1।।कमिशनरी में मै. इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (मै. ईसीआईएल) ने निर्णीत हर्जाने/विलम्ब सुपुर्दगी (अन्तरण) प्रभारों के प्रति आपूर्तिकर्ता से विव 2015 से विव 2016 के दौरान ₹ 10.34 करोड़ की राशि को वसूल किया था। आपूर्तिकर्ता के साथ हुए करार की जांच पर यह देखा गया कि आपूर्तिकर्ता 1 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर और प्रत्येक सप्ताह अप्राप्य मात्रा के 10 प्रतिशत की अधिकतम दर पर निर्णीत हर्जाने के भुगतान के लिए दायी था। सामग्री की देरी से आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्णीत हर्जाने/विलम्ब सुपुर्दगी प्रभारों का भुगतान किया गया और ऐसी देरी लिखित समझौते के द्वारा हुई सहमति के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा राशि के भुगतान पर निर्धारिती द्वारा बर्दाशत की जाती है, इसलिए उक्त कार्य वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66(ई)(ई) के अनुसार घोषित सेवा है। निर्णीत हर्जाने पर अमुक्त सेवा कर ब्याज सहित ₹ 1.39 करोड़ निर्धारिती से वसूलने की आवश्यकता है।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2016) तब कमिशनरी ने आपत्ति स्वीकार की (जनवरी 2017) और बताया कि आपत्ति में शामिल राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर और आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.3 करयोग्य सेवा का अव मूल्यांकन

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 नियत करती है कि जहां सेवा कर उसके मूल्य के संदर्भ में किसी कर योग्य सेवा पर प्रभार्य है, तब ऐसा मूल्य ऐसे मामले जहां सेवा का प्रावधान धन की प्राप्ति के लिए है में दी गई ऐसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि होगी।

3.2.3.1 कोचीन कमिशनरी में मै. ऐशियानिक इंजिनियरिंग कॉरपोरेशन एर्नाकुलम ने ट्राईल बैलेन्स के अनुसार विव 12 और विव13 के दौरान क्रमशः ₹ 8.63 करोड़ और ₹ 2.88 करोड़ की करार आय को प्राप्त किया। तथापि, एसटी-3 विवरणियांस के अनुसार करयोग्य मूल्य विव 12 और विव13 के लिए केवल क्रमशः ₹ 6.83 करोड़ और ₹ 1.78 करोड़ था। इसके कारण करयोग्य आय के अव मूल्यांकन के परिणाम के साथ ₹ 2.90 करोड़ के कर योग्य मूल्य के विभेदक पर ₹ 34.37 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2013) तब कमिशनरी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि विव 12 से विव 15 तक की अवधि के लिए ब्याज और शास्ति सहित ₹ 1.19 करोड़ के सेवा कर की मांग करने वाला एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया था (नवम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

3.2.3.2 व्यवसाय सहायक सेवा और प्रबंधन, रखरखाव अथवा मरम्मत सेवा, में लगे हैदराबाद एसटी कमिशनरी में मै. फ्लाइटेक ऐविएशन लि. ने विव13 से विव15 की अवधि के दौरान हास्टलरों को दी गई कोचिंग सेवाओं के संबंध में हास्टल प्रभारों के प्रति छात्रों से ₹ 93.01 लाख को राशि का संग्रहण किया था। तथापि, निर्धारिती ने कर योग्य सेवा के अपने मूल्य में इस राशि को शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के अतिरिक्त ₹ 11.50 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2016) तब कमिशनरी ने (फरवरी 2017) आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि आपत्ति में सम्मिलित राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर और आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.4 विभिन्न कर योग्य सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर न चुकाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 के अनुसार किसी व्यक्ति के कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर सेवा कर जो कि निर्धारित की जाए धारा 66 में निर्धारित दर पर सेवा कर का

भुगतान करेगा। इसके अलावा सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6 के अनुसार सेवा कर माह के 6वें दिन तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट को भुगतान करना होगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकली जमा किया जाना है और किसी अन्य मामले में माह के 5वें दिन तक।

नोएडा -II कमिश्नरी में मै. पीटीसी इंजिनियरिंग इंडिया प्रा. लि. को मैनपावर रिक्रूटमेंट एजेन्सी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी और अचल संपत्ति सेवाओं का किराया पर देने के लिए ₹ 24.75 लाख की सीमा तक के सेवा कर (नवम्बर 2015 से मार्च 2016) का भुगतान करना अपेक्षित था लेकिन भुगतान नहीं किया था। अतः ₹ 24.75 लाख तक की राशि का सेवा कर यथा लागू ब्याज और शास्ति सहित निर्धारिती से वसूलने योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मई 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और बताया कि एक मसौदा एससीएन तैयार किया जा रहा था। आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.2.5 प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर न चुकाना

सेवा प्राप्तकर्ता कुछ निश्चित मामलों में प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर भुगतान के लिए दायी है। अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के खंड (ज) के अनुसार जहां मानव श्रम की आपूर्ति में लगा सेवा प्रदाता हुए हैं व्यष्टि, मालिक, भागीदारी, एचयूएफ अथवा व्यक्तियों का संघ है और सेवा प्राप्तकर्ता निगमित निकाय है वहां सेवा प्राप्तकर्ता करयोग्य मूल्य के 75 प्रतिशत की सीमा तक सेवा कर भुगतान करने के लिए दायी है।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में मै. सीटीए लोजिस्टीक ने विव13 से विव14 के दौरान ₹ 2.48 करोड़ की राशि की मानवश्रम आपूर्ति सेवा प्राप्त की थी। कुछ बीजकों में सेवाप्रदाता ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मूल्य के 75 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, निर्धारिती ने सेवा प्राप्तकर्ता होते हुए उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार प्रति प्रभाव तंत्र के अन्तर्गत किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सेवा के कर योग्य मूल्य

के 75 प्रतिशत पर संगणित ₹23.02 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2017) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2017) कि एससीएन तैयार किया जा रहा था।

आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.3 सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति/उपयोग

3.3.1 छूट प्राप्त सेवा पर सेनवैट क्रेडिट प्रति न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6 कहता है कि सेनवैट क्रेडिट छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में या के संबंध प्रयुक्त इनपुट में या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा।

3.3.1.1 हैदराबाद एसटी कमिशनरी में मै. अपोलो हॉस्पिटल इन्टरप्राइज लि. कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा, फ्रेंचाइज सेवा, अचल संपत्ति की रेंटिंग सेवा आदि देने में लगा था। विव13 से विव15 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि निर्धारिती ने क्लिनिक स्थापना द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान की थी जो एक छूट प्राप्त सेवा है। निर्धारिती ने कॉमन परिसर किराया और सुरक्षा सेवा इत्यादि जैसी कॉमन इनपुट सेवाओं पर कर भुगतान का क्रेडिट लिया था अतः निर्धारिती उपरोक्त अवधि के लिए छूट प्राप्त सेवाएं देने के लिए इनपुट सेवाओं पर आरोप्य सेनवैट क्रेडिट का प्रति करने के लिए अपेक्षित था ब्याज के अलावा ₹ 2.16 करोड़ बनता था।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2017) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2017) कि ₹ 81.35 लाख की राशि वसूली गई थी और शेष राशि को वसूलने के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था।

3.3.1.2 वडोदरा-1 कमिशनरी में मै. अलेम्बिक लि. ने 532 आवासीय इंकाईयों को वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था। विव13 और विव 15 के दौरान

निर्धारिती द्वारा लिए गए सेनवैट क्रेडिट की कुल राशि ₹ 3.54 करोड़ बनती है।

संवीक्षा पर, हमने देखा कि निर्धारिती ने 360 इकाइयों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र (जुलाई 2014) प्राप्त होने से पहले बुकिंग प्राप्त की जिस पर सेवा कर का भुगतान किया गया था। तथापि, पूर्णता प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद बुक की गई शेष 172 इकाइयों, (32.33 प्रतिशत) के संबंध में को निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं था।

चूंकि, निर्धारिती द्वारा इन 172 इकाइयों के संबंध में दी गई निर्माण सेवाएं सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी, इसलिए इन इकाइयों के संबंध में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट की प्राप्ति हेतु यह हकदार नहीं था। इस प्रकार, निर्धारिती को ₹ 1.14 करोड़ के अनुपाती सेनवैट क्रेडिट के प्रति की आवश्यकता थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित (मई 2017) किया कि निर्धारिती ने बिकी हुई इकाइयों के अनुपातिक क्षेत्र के अनुसार ₹ 1.18 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का विरोध करते हुए प्रति किया था और कि आगामी जांच पड़ताल के दृष्टिकोण से एससीएन जारी नहीं किया गया था।

आगामी कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2017)।

3.3.2 छूट प्राप्त सेवा पर सेनवैट क्रेडिट का समयपूर्व उपयोग

सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 3(4) के अनुसार, सेवा कर के शुल्क का भुगतान करते समय, सेनवैट क्रेडिट का उपयोग केवल उस माह/तिमाही से संबंधित शुल्क अथवा कर के भुगतान के लिए माह/तिमाही के अन्तिम दिन उपलब्ध ऐसे क्रेडिट तक किया जाएगा।

जयपुर कमिश्नरी में मै.मैन स्ट्रक्चरल प्रा. लि. ने मै. यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (यूपीपीटीएल) इलाहाबाद को ₹ 13.18 करोड़ के मूल्य कार्य अनुबंध सेवाएं दी थी जिस पर ₹ 93.04 लाख का सेवा कर (उपकर सहित) देय था। अभिलेखों की संवीक्षा से यह पता चला कि जनवरी से मार्च 2016 के महीनों के लिए ₹ 93.04 लाख की कुल देयता के प्रति, निर्धारिती ने नकद

द्वारा ₹45.99 लाख और सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा ₹47.05 लाख की शेष राशि का भुगतान किया। 31 मार्च 2016 को उसके सेनवैट लेखा में निर्धारिती के पास कोई क्रेडिट शेष नहीं था। प्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की उपयोगिता को निर्धारिती द्वारा अप्रैल से जून 2016 के महीनों के दौरान प्राप्त किया था। जब कि सेवा कर की राशि का भुगतान जनवरी से मार्च 2016 के दौरान किया जाना था। इस प्रकार जनवरी से मार्च 2016 के दौरान भुगतान किए जाने वाले सेवा कर के भुगतान के लिए मार्च 2016 के बाद प्राप्त 47.05 लाख के सेनवैट क्रेडिट का उपयोग गलत था। जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2016) तब कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹2.48 लाख के ब्याज सहित ₹47.05 लाख जमा करवा दिये हैं।

मंत्रालय अपने उत्तर (सितम्बर 2017) में दावा किया कि मामला इसके आईएपी द्वारा बताया गया था। जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आईएपी ने निर्धारिती द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने को बताया था परन्तु मंत्रालय यह नोट करे कि लेखापरीक्षा अपत्ति किसी और मामले अर्थात् सेवा कर के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट के समय पूर्व उपयोग के संबंध में थी।

3.3.3 उसी रूप में इनपुटों की निकासी पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की राशि का गैर भुगतान न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) 2004 का नियम 3(5) यह प्रावधान करता है कि जब इनपुटों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है को ऐसे आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर से उसी रूप में हटाया जाता है, तब आउटपुट सेवा का प्रदाता ऐसी इनपुटों अथवा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लिये गये क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

कोचिन कमिश्नरी में मै. वोडाफोन सेल्युलर लि. ने मै. वोडाफोन साऊथ लि. मुम्बई को उसी रूप में ₹3.05 करोड़ मूल्य के डार्क फाईबर के तीन जोड़ों (इनपुटों) की (जनवरी 2015) निकासी की थी। तथापि, निर्धारिती ने विव 15

की दूसरी छमाही की एसटी-3 विवरणियां के अनुसार ₹41.31 लाख के अनुपाती सेनवैट क्रेडिट का प्रति नहीं किया था भले ही बीजक में ₹41.31 लाख का प्रति दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹41.31 लाख के सेनवैट क्रेडिट का कम प्रति हुआ।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) और बताया कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया जा रहा था।

3.3.4 पुरानी अवधि के लिए इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

अधिसूचना सं. 21/2014-सीई(एमटी) के अनुसार 1 सितम्बर 2014 से इनपुट सेवा प्रदाता सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 9(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के छः माह पश्चात इनपुट सेवाओं का सेनवैट क्रेडिट नहीं लेगा जिसे 1 मार्च 2015 से एक वर्ष तक बढ़ाया गया था।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के महीनों के लिए मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में मै. नेटमैजिक आईटी सेवाएं लि. से संबंधित इनपुट सेवा के सेनवैट रजिस्टर की संवीक्षा की यह देखा गया कि निर्धारिती ने पुरानी अवधि अर्थात दस्तावेजों के जारी होने की तिथि के छःमाह/एक वर्ष पश्चात इनपुट सेवाओं पर ₹12.70 लाख का सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप सेनवैट क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया गया जो ब्याज सहित वसूलने योग्य था।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2016) तब निर्धारिती ने ₹7.84 लाख के ब्याज सहित ₹12.70 लाख के सेनवैट क्रेडिट का भुगतान किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

अध्याय IV

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

4.1 प्रस्तावना

किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण जोखिमों का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने कि स्वत्व के मिशन के अनुसरण में निम्नलिखित समान्य उद्देश्यों⁴² को प्राप्त किया जा रहा है के लिए परिकल्पित है:

- जवाबदेही दायित्व पूर्ण करना;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

स्व-निर्धारण के युग में, एक सुदृढ़ अनुपालन तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार कर सीबीईसी ने दो कार्यों अर्थात् रिटर्नों की संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास तथा नियमित रूप से कर जाल के अन्तर्गत लाई जा रही नई सेवाओं के साथ, उन व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश भी मौजूद हैं जो कर चुकाने के दायी थे परन्तु भुगतान टालते रहे, ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप कर आधार विस्तृत हो।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

अभिलेखों की जांच के दौरान हमें विवरणियां संवीक्षा तथा निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा और क्षेत्राधिकार अधिकारियों के कार्यचालन से संबंधित स्थापित अनुदेशों के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। इनसे पता चला कि विभाग को मौजूदा प्रणालियों तथा कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए।

⁴² इंटोसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों के लिए दिशानिर्देश

हमने ₹ 165.88 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 103 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से आपत्तियां मंत्रालय को बताईं। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 41 मामले परिशिष्ट-IV में उल्लिखित शामिल हैं। शेष 62 मामलों (परिशिष्ट V) में वे 34 मामले जिनमें मंत्रालय ने विभागीय त्रुटियों को स्वीकार नहीं किया और 28 मामले जहां मंत्रालय की प्रतिक्रिया/अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017) शामिल हैं।

आपत्तियों पर तीन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई थी:

- विवरणियों की संवीक्षा
- आंतरिक लेखापरीक्षा न करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा में चूक का पता न लगना
- क्षेत्राधिकारी अधिकारियों का कार्यचालन

4.3 प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तताएं

एसीईएस शुरू करने के बाद विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा स्वयं प्रणाली द्वारा ही की जा रही थी। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणियों की समय पर प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता तथा नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना था। यदि एसीईएस प्रणालियों द्वारा कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी सभी विवरणियों को आरण्डसी⁴³ हेतु चिन्हित किया गया था। एसीईएस द्वारा आरण्डसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों को निर्धारित से परामर्श के बाद विधिमान्य किया जाना तथा प्रणाली में दुबारा दर्ज किया जाना चाहिए। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा तथा आरसी विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पूरी की जानी थी।

रेंजों में एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान हमने 11 मामले देखे जहां प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में कमियों के कारण कर देयता के कम

⁴³ चिन्हित रिटर्न के संबंध में विसंगतियों के समाधान की प्रक्रिया को आरण्डसी कहा जाता है।

भुगतान/भुगतान न करने को एसटी-3 विवरणियां में दर्शाया गया था या कर के विलंब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने का पता नहीं चला था। सेवा कर तथा ब्याज के कम भुगतान/भुगतान न करने से संबंधित 10 मामलों (परिशिष्ट-IV के खण्ड क में शामिल) में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा इन चूकों को एसीईएस में सुविधा की अनुपलब्धता पर आरोपित किया जिसका समाधान नई जीएसटी व्यवस्था में कर लिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

4.3.1 सेवा कर के कम भुगतान तथा ब्याज का भुगतान न करने का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के अनुसार सेवा कर का भुगतान आगामी माह की 5 तारीख तक मासिक आधार पर किया जाना है। तथापि, मार्च माह हेतु भुगतान 31 मार्च तक करना आवश्यक है। इसके अलावा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 में प्रावधान है कि वह प्रत्येक व्यक्ति, जो निर्धारित अवधि में केंद्रीय सरकार के खाते में कर या उसके भाग को क्रेडिट करने में विफल हो जाता है, उस दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उस समय हेतु निर्धारित की गई है।

मुंबई एसटी-11 कमिश्नरी में मै. एस्सार शिपिंग लि. की एसटी-3 विवरणियां की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव15 तथा विव16 हेतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 9.14 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, मार्च 2016 माह हेतु स्वच्छ भारत उपकर सहित ₹ 13.90 करोड़ की कुल सेवा कर देयता के प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 7.65 करोड़ का ही भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.25 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिस पर ₹ 83.94 लाख का ब्याज भी देय है।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब निर्धारिती ने आंशिक रूप से ₹ 5.52 करोड़ की राशि का भुगतान किया (दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017) तथा बताया कि शेष राशि ब्याज सहित यथा समय में दे दी जाएगी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (सितम्बर 2017) कि यह मामला पहले से इसके ध्यान में था तथा निर्धारिती के विरुद्ध डीजीसीईआई जांच चल रही थी। मंत्रालय का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में कमियों से संबंधित थी जिसका मंत्रालय द्वारा उद्धृत डीजीसीईआई जांच से कोई संबंध नहीं था।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा न करना

लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम पैरामीटरों के आधार पर चयनित निर्धारिती इकाइयों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपीज) द्वारा लेखापरीक्षा को अनिवार्य बना देता हैं। हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निर्धारितियों के कवरेज की पर्याप्तता तथा लेखापरीक्षा हेतु देय निर्धारिती इकाइयों के मामले में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के संभावित प्रभाव की जांच की थी। हमें चूकों का पता चला जिसमें 21 निर्धारिती इकाइयों के मामले में ₹ 25.09 करोड़ की मूल्य राशि शामिल थी, जो विभागीय प्रतिमानों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु देय थी परन्तु आईएपीज द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने इनमें से 19 मामले स्वीकार किए (*परिशिष्ट IV* के खण्ड ख में शामिल किए गए हैं)। मंत्रालय ने एक मामले को स्वीकार नहीं किया तथा एक मामले में मंत्रालय का उत्तर आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन था, जिस पर नीचे चर्चा की गई है:

4.4.1 संगृहीत किंतु जमा न किया गया सेवा कर

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के अनुसार सेवा कर का भुगतान माह की 6 तारीख तक यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराया गया है या अन्य मामले में मार्च माह को छोड़ कर, जहां कर भुगतान मार्च में ही किया जाना है, आगामी माह की 5 तारीख तक, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के क्रेडिट में भुगतान किया जाएगा। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70(1) के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7 शर्त लगाता है कि सेवा

कर भुगतान हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर देय कर का स्वयं निर्धारण करेगा तथा इसे विशेष अर्ध वर्ष के आगामी माह की 25 तारीख तक फॉर्म एसटी-3 में अर्ध वार्षिक विवरणियां केद्रीय उत्पादशुल्क के पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करेगा।

चंडीगढ़-। कमिश्नरी में मै. न्यूटाइम कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि., यद्यपि विव16 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु देय था, परन्तु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने ग्राहकों को निर्माण सेवाएं उपलब्ध कराई थी तथा विव14 तथा विव15 के दौरान रनिंग बिलों में माध्यम से ₹ 35.30 लाख का सेवा कर प्रभारित किया था। तथापि, निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान न तो सेवा कर विवरणियां फाइल की और न ही सरकारी खाते में ग्राहकों से संग्रहीत ₹ 35.30 लाख का सेवा कर जमा कराया। इसके अलावा निर्धारिती ने ओलिवर इंजीनियरिंग प्रा. लि. से मॉबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 2.79 करोड़ प्राप्त किए थे (अप्रैल 2013), किंतु निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त किए गए अग्रिम पर ₹ 13.79 लाख की सेवा कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इस प्रकार निर्धारिती से विवरणियों को फाइल न करने हेतु शास्ति के उदग्रहण के अलावा ₹ 49.09 लाख के सेवा कर की कुल राशि वसूलीयोग्य थी।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय (सितम्बर 2017) ने बताया कि विभाग को मामले की जानकारी थी क्योंकि उन्होंने अभिलेख मांगे थे जब निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणियां फाइल नहीं की थी। उन्होंने आगे बताया कि चूँकि निर्धारिती ने कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे, अतः उन्होंने आयकर विभाग से एकत्रित विव13 तथा विव16 के आय ब्यौरों (जनवरी 2017) का उपयोग करते हुए निर्धारिती को विव13 से विव16 के लिए ₹ 1.51 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

तथ्य यह शेष रहता है कि विभाग ने हमारे द्वारा दी गई सूचना (फरवरी 2016) के बाद ही मामले पर कार्रवाई शुरू की थी (जनवरी 2017) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निश्चित समय पर नहीं की गई थी।

4.4.2 सेवा के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना

अधिसूचना सं.30/2012 दिनांक 20 जून, 2012 के क्रम सं. 10 के अनुसार यदि करयोग्य सेवा गैर करयोग्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को दी जाती है और सेवा के प्रावधान का स्थान करयोग्य क्षेत्र में है तो सेवा कर का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा।

हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में मै. पोसीडैक्स टेक्नोलोजिज़ प्रा. लि. विव15 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु देय था किंतु लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। हमारी संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 और मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टैक्निकल कन्सल्टैन्सी तथा व्यावसायिक सेवाओं के प्रति ₹ 2.04 करोड़ व्यय किए थे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती ब्याज सहित उपरोक्त राशि पर ₹ 25.21 लाख के सेवा कर के भुगतान का दायी था। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं के आयात पर ₹ 25.21 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 7.12 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.21 लाख के सेवा कर का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय का उत्तर आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन था।

4.5 आइएपीज द्वारा चूकों का पता न लगाना

आइएपीज लेखापरीक्षा योजना के अनुसार तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2015 (सीईएसटीएएम-2015) के साथ प्रतिस्थापित सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारिती इकाइयों की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने आईएपी द्वारा पहले से लेखापरीक्षित निर्धारितियों के नमूने के लेखापरीक्षण द्वारा आइएपीज द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। 57 मामलों, जहां हमने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों

को पता लगाने हेतु आईएपीज की चूक के बारे में बताया था, मैं से मंत्रालय ने नौ मामलों को स्वीकार किया (*परिशिष्ट IV* का खण्ड ग)। शेष 48 मामलों में से (*परिशिष्ट-V* का खण्ड ग) 12 मामलों में, जिनके लिए मंत्रालय ने बताया कि चूक हेतु उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था। मंत्रालय ने 25 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया तथा 11 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

4.5.1 निर्यात लाभ छूट के अनियमित दावे का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6क(1)(घ) के अनुसार सेवा को सेवा का निर्यात केवल तभी माना जा सकता है यदि सेवा नियमावली के प्रावधान के स्थान के अनुसार प्रावधान का स्थान भारत से बाहर हो।

सेवा के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 के नियम 9(ख) के अनुसार नियम 2(1) में यथा परिभाषित, कम्प्यूटर नेटवर्क सेवा के माध्यम से ऑनलाइन सूचना तथा डाटाबेस एक्सेस या पुनः प्राप्ति या दोनों इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ओआईडीएआर) सेवा प्रदाता का स्थान है।

सीबीईसी की निदेशन टिप्पणियां (प्रश्न सं. 5.2.4) स्पष्ट करती हैं कि सेवा प्राप्तकर्ता के मामले में स्थान निर्धारित करने के लिए सुसंगत स्थान वह स्थान है जहां सेवा का “उपयोग” या “खपत” हुई। इसके अलावा, सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4ए प्रावधान करता है कि सेनवैट क्रेडिट बीजक बिल या चालान पर लिया जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी गई कर योग्य सेवा का विवरण तथा मूल्य तथा उस पर देय सेवा कर निर्दिष्ट हो।

4.5.1.1 छूट तथा निर्यात लाभों का अनियमित दावा

बैंगलोर एसटी-1। कमिश्नरी में मै. ओनमोबाइल ग्लोबल लि. ने विभिन्न टैलीकोम प्रचालकों के ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएसज) उपलब्ध कराने के लिए बैंगलोर में डाटा केंद्र स्थापित किया था। निर्धारिती ने ऑनलाइन इंफोर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल (ओआईडीएआर) के अंतर्गत

इन सेवाओं को सही तरीके से वर्गीकृत किया तथा कर योग्य क्षेत्रों में अवस्थित टेलीकोम प्रचालकों को दी गई इन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, कर योग्य क्षेत्र से बाहर अवस्थित टेलीकोम प्रचालकों को दी गई ऐसी सेवाओं के मामले में निर्धारिती ने इन्हें सेवाओं का निर्यात मानते हुए विव13 से विव16 की अवधि हेतु ₹ 23.35 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। हालांकि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने सितम्बर 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए फरवरी 2015 में इकाई की लेखापरीक्षा की थी फिर भी इस भुगतान न करने का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) तब मंत्रालय ने इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (सितम्बर 2017) कि डीजीसीईआई ने पहले ही जून 2016 में इसका निरीक्षण शुरू कर दिया था जबकि सीएजी लेखापरीक्षा ने इस मामले को जुलाई 2016 में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर इस मामले से संबंधित नहीं था जोकि निर्धारिती द्वारा छूट के गलत दावे का पता लगाने में आईएपी की विफलता के बारे में है जिसने फरवरी 2015 में इस निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी।

4.5.1.2 सेवाओं के निर्यात का गलत दावा तथा सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

बडोदरा-। में मै. डिलोएट, हस्किन्स एण्ड सैल्स (आईएपी द्वारा विव14 तक लेखापरीक्षित) ने विदेशी ग्राहकों को उन्हें सेवा के निर्यात के रूप में मानते हुए उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। हमने देखा कि निर्धारिती ने विदेशी संस्थानिक निवेशकों (एफआईआईज), जिनके मुख्यालय विदेश में थे किंतु साथ ही भारत में कार्य कर रहे थे, को सेवा उपलब्ध कराई थी जिसने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया था तथा जो भारत में स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत था। अतः सेवाओं को सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6ए(1)(डी) के अनुसार सेवा का निर्यात नहीं माना जा सकता। निर्धारितों ने विव15 में 50 सेवा बीजकों/बिलों पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था

जिसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जिन पर यह ₹ 91.21 लाख के सेवा कर भुगतान का दायी था। चूँकि, विव15 के ब्यौरों ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए सेवा के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 की शुरुआत के बाद निर्धारिती के सभी संव्यवहारों के लिए इस पहलू का सत्यापन करने का अनुरोध विभाग को किया गया था। इसके अलावा, हमने देखा कि निर्धारिती ने 14 बीजकों पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था जिसके लिए यह इसकी प्रकृति तथा स्वीकार्यता के कोई ब्यौरों उपलब्ध नहीं करा सका था, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की उपलब्धता की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी थी। अतः विभाग से ऐसे बीजकों की स्वीकार्यता की जांच तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा सूचना दी (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती को ₹ 10.96 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। आईएपी की विफलता हेतु यह बताया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी अतः आईएपी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 12 में निर्धारितियों द्वारा दावा की गई छूट की सटीकता की जांच के लिए विशेष जांच निर्धारित की गई है।

4.5.1.3 सेवाओं के निर्यात की छूट की गलत प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(के) के अनुसार “कर योग्य सेवा” का तात्पर्य/किसी भी तरीके से श्रमबल की भर्ती या आपूर्ति, अस्थायी या अन्यथा, के संबंध में श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा से है, को शामिल करता है। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6ए प्रावधान करता है कि उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी गई किसी सेवा के प्रावधान को केवल तब सेवा का निर्यात माना जाएगा (अन्यों के मध्य) जब

सेवा प्राप्तकर्ता भारत से बाहर अवस्थित हो तथा ऐसी सेवा हेतु भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा रूपांतरणीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है।

चेन्नई एसटी-। कमिश्नरी में मै. स्टार वर्ल्ड इंटरनेशनल सर्विस (इंडिया) प्रा. लि. के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान (आईएपी द्वारा अप्रैल 2015 में लेखापरीक्षित) लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 के दौरान निर्धारिती द्वारा फाइल की गई एसटी-3 विवरणियों में ₹ 63.84 लाख की कम सूचना दी गई थी। यह राशि मै. श्रीराम ईपीसी लि. चेन्नई को इराक में उनके परियोजना कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई श्रमबल आपूर्ति सेवाओं पर सेवा प्रभार से संबंधित थी तथा निर्धारिती ने इस सेवा को सेवाओं के निर्यात के तहत वर्गीकृत किया और सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि निर्धारिती को यह राशि केवल भारतीय मुद्रा में ही प्राप्त हुई थी। लेखापरीक्षा ने बताया कि चूँकि सेवा प्राप्तकर्ता भारत में अवस्थित था और निर्धारिती को सेवाओं के लिए भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ था अतः सेवा को सेवाओं का निर्यात नहीं माना जाना चाहिए तथा ₹ 2.84 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.89 लाख का सेवा कर वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने यह सूचना देते समय (मई 2017) कि मांग की पुष्टि हो गई थी, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 का उद्धरण देते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुसार ईरान को निर्यातों के प्रति भारतीय रूप में उदगृहीत निर्यात प्राप्तियों को निर्यात लाभ प्राप्त करने हेतु अनुमति दी गई थी तथा यह इराक पर भी लागू हो सकती थी।

मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी था क्योंकि एक तरफ इसने बताया कि मांग की पुष्टि हो गई थी तथा दूसरी तरफ इस अवधारणा पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया कि विशेष रूप से ईरान के लिए किए गए प्रावधान इराक पर भी लागू हो सकते थे। निर्धारित शर्तों को पूरा करने के मद्देनजर सेवा को सेवा के निर्यात के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए सेवा कर उद्ग्राह्य था जैसा हमने उल्लेख किया।

4.5.2 सेवा कर के कम भुगतान का पता न चलना

4.5.2.1 कराधान समय नियमावली का पालन न करने के कारण कम भुगतान

1 अप्रैल 2011 से प्रभावी कराधान समय नियमावली 2011 के नियम 3 के अनुसार कराधान का समय वह समय होगा जब उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए बीजक जारी किया जाता है और उस मामले में जहां सेवा प्रदाता व्यक्ति बीजक जारी होने से पूर्व भुगतान प्राप्त करता है, वह समय होगा जब वह ऐसे भुगतान की सीमा तक ऐसे भुगतान प्राप्त करता है। नियम 9 के परन्तुक में बताया गया कि सेवाओं, जिनके लिए प्रावधान 30 जून 2011 को या इससे पूर्व पूरा हो गया था या जहां बीजक 30 जून 2011 तक जारी कर दिए गए थे, में कराधान समय कर दाता के विकल्प के आधार पर वह तिथि होगा जिस पर भुगतान प्राप्त या प्रदान किया गया था, जैसा भी मामला हो।

कोचीन कमिश्नरी में मै. जेलिटा पब्लिसिटी कोट्टायम (आईएपी द्वारा मई 2014 में लेखापरीक्षित) के अभिलेखों की जांच के दौरान विविध कर्जदारों तथा लेखा बही में दर्शाए गए अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान से यह देखा गया कि निर्धारिती ने विव12 में कराधान समय नियमावली 2011 के अननुपालन के कारण ₹ 2.85 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) तब मंगलय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (जुलाई 2017) कि ब्याज एवं शास्तियों सहित विव12 से विव15 की अवधि के लिए उपकर सहित ₹ 8.60 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आईएपी की विफलता के लिए यह बताया गया कि आपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों अर्थात् तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा की डेस्क समीक्षा करते समय विस्तृत रूप से जांच की जानी थी तथा नमूना जांच आधार पर नहीं।

4.5.2.2 प्राप्त अग्रिमों पर सेवा कर का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 67(3) के अनुसार कर योग्य सेवा हेतु प्रभारित सकल राशि में सेवा के प्रावधान से पूर्व, दौरान या पश्चात करयोग्य सेवा के प्रति प्राप्त कोई राशि शामिल होगी।

कोचीन कमिश्नरी में मै. स्काई लाइन बिल्डर्स (आईएपी द्वारा अप्रैल 2014 में लेखापरीक्षित) ने विव13, विव14 तथा विव15 के दौरान क्रमशः ₹ 70.19 करोड़, ₹ 93.23 करोड़ तथा ₹ 105.64 करोड़ का अग्रिम (जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल था) प्राप्त किया था। विव13, विव14 तथा विव15 की एसटी-3 विवरणियों में इस अग्रिम राशि को करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। सेवा कर की गणना हेतु 'ग्राहकों से अग्रिम' के रूप में प्राप्त कुल राशि पर विचार न करने के परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 2.14 करोड़ के सेवा कर (विभेदक करयोग्य मूल्य के 75 प्रतिशत की छूट देने के बाद) तथा 31 अगस्त 2015 तक ₹ 86.61 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (जुलाई 2017) कि ब्याज एवं शास्तियों सहित विव12 से विव15 की अवधि हेतु उपकर सहित ₹ 8.60 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए निर्धारिती को एससीएन जारी कर दिया गया था। आईएपी की विफलता हेतु यह बताया गया कि आपत्ति का पता नहीं चल सका क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों अर्थात् तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, ट्रायल बैलेंस की डेस्क समीक्षा करते समय विस्तृत रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए थी तथा नमूना जांच आधार पर नहीं।

4.5.2.3 प्रति प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर का कम भुगतान

दो मामलों⁴⁴ में हमने बताया कि यद्यपि आईएपी ने इन निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की थी फिर भी वे प्रति प्रभार तंत्र के तहत ₹ 1.61 करोड़ मूल्य के सेवा कर के कम भुगतान का पता लगाने में विफल रहे। मंत्रालय ने बताई गई राजस्व हानि स्वीकार की (अप्रैल 2017 तथा जुलाई 2017) किंतु बताया कि आईएपी ने इन इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की थी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आईएपी रिपोर्टों की प्रतियों के अनुसार आईएपी ने हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति में कवर की गई आंशिक अवधि के लिए इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की थी।

4.5.2.4 सेवा के गलत वर्गीकरण के कारण सेवा कर का कम भुगतान

जयपुर कमिश्नरी में मै. ओसवाल केबल्स प्रा. लि. की आईएपी द्वारा अक्टूबर 2015 में लेखापरीक्षा की गई थी। उसी निर्धारिती के अभिलेखों की हमारी जांच (फरवरी 2016) में पता चला कि निर्धारिती ने विव13 तथा विव14 के दौरान

₹ 3.54 करोड़ के मूल्य पर मै. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को उत्थापन, शुरू करने तथा प्रतिष्ठापन सेवाएं प्रदान की थी जिस पर ₹ 43.79 लाख (उपकर सहित) का सेवा कर देय था। संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने निर्माण कार्य ठेका सेवा के रूप में इस सेवा को गलत रूप से वर्गीकृत करते हुए 60 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के बाद 40 प्रतिशत सेवा मूल्य पर ₹ 17.49 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। इस सेवा को निर्माण कार्य ठेका सेवा के रूप वर्गीकृत करना गलत था क्योंकि इस सेवा के कार्यान्वयन में कोई संपत्ति हस्तांतरण नहीं पाया गया था। अतः सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा ₹ 26.30 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

⁴⁴ हैदराबाद एसटी (मै. ग्लोबलोजिक टेक्नोलोजिज लि.) तथा गुटुर कमिश्नरी (मै. जीएस एलॉय कास्टिंग लि. इकाई II)

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि ₹ 32.55 लाख के सेवा कर की वसूली हेतु निर्धारिती को अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। मंत्रालय का उत्तर आईएपी की विफलता पर मौन था।

4.5.3 सेवा कर के भुगतान न करने का पता न चलना

4.5.3.1 प्रति प्रभार तंत्र के तहत देय सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी तथा अधिसूचना सं.30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 में प्रावधान किया गया कि सेवा प्राप्तकर्ता गैर-करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई किसी करयोग्य सेवा पर सेवा कर के भुगतान का दायी होगा।

बैंगलोर एसटी-1। कमिश्नरी में मै. मर्सीडीज-बैज रिसर्च तथा डेवलपमेंट इंडिया प्रा. लि. से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, व्यावसायिक तथा तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त की थी तथा वह प्रति प्रभार तंत्र के तहत इस पर सेवा कर भुगतान का दायी था। तथापि, निर्धारिती ने विव12 से विव16 की अवधि हेतु प्राप्त इन सेवाओं पर ₹ 1.08 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। मार्च 2014 में आईएपी द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी किंतु इस चूक के बारे में नहीं बताया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2016) तब कमिश्नरी ने विव12 से विव16 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर ₹ 60.51 लाख के ब्याज के अलावा ₹ 1.08 करोड़ के सेवा कर भुगतान की सूचना दी थी (मार्च 2017)। मंत्रालय ने यह कहते हुए विभाग की चूक स्वीकार नहीं की (अक्टूबर 2017) कि फरवरी 2012 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (विव11 तक की अवधि हेतु) में इस मामले का पता चल गया था जिस पर विव11 तक की अवधि हेतु एससीएन जारी किया गया था। अतः आईएपी, जिसने मार्च 2014

में अगली लेखापरीक्षा की थी, ने उक्त के बारे में नहीं बताया क्योंकि संबंधित रेंज/डिविजन द्वारा आवधिक एससीएन जारी/प्रस्तावित किए जाने थे।

मंत्रालय का उत्तर सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 17 में निर्धारिती को पहले जारी एससीएन की जांच और उसमें कवर की गई अवधि की जांच के लिए निर्धारित विशेष जांच के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं था कि क्या समान चूक जारी रही। इसके अलावा, मामले के पिछली अवधि हेतु विभाग की जानकारी में होने के बावजूद यदि मामले को सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित न किया गया होता तो मांग काल बाधित बन सकती थी।

4.5.3.2 कारोबार सहायक सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना

कारोबार या वाणिज्य की सेवाओं के समर्थन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, किसी भी तरीके से, 30 जून 2012 तक कर योग्य सेवा थी। उन सेवाओं को छोड़ कर, जो किसी अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त थी या वह जिन्हें नकारात्मक सूची में डाला गया था, सभी सेवाओं पर सेवा कर जुलाई 2012 से देय था।

वड़ोदरा-। कमिश्नरी में मै. चैकमेट सर्विसेज प्रा. लि. ने मै. यूपीएल इनवायरमेंटल इंजीनियर्स लि. (यूपीएलईईएल) को विव13 से विव15 के दौरान ₹ 3.46 करोड़ मूल्य के लिए नगरपालिका कचरे के प्रहस्तन तथा यातायात की सेवाएं प्रदान की थी। ये सेवाएं कारोबार सहायक सेवाओं के तहत आती हैं जिन पर ₹ 42.80 लाख का सेवा कर देय था। तथापि, इस राशि पर निर्धारिती ने किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा ₹ 2.15 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अलावा, आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी जिसके कारण मंत्रालय ने बताया कि चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सेवा कर का भुगतान न करना तीन वित्त वर्षों तक जारी रहा और इसलिए आईएपी की लेखापरीक्षा योजना में इस मामले को शामिल न करना डेस्क समीक्षा की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है।

4.5.3.3 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई(ई) के अनुसार, किसी कार्य से बचने अथवा कार्य या किसी को स्थिति को मानने अथवा कोई कार्य करने हेतु सहमत होने पर यह एक 'घोषित सेवा होगी' और यह करयोग्य होगी।

इंदौर कमिश्नरी में मै. एम.पी. औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंडिया) लिमिटेड के सेवा कर एवं वित्तीय अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अगस्त 2016) कि विव13 से विव16 की अवधि के लिए निर्धारिती ने "जुर्माना/शास्ति अथवा अन्य" के लिए ₹ 9.54 करोड़ की आय दर्शाई थी। यह यथा उल्लिखित धारा 66 ई(ई) के अनुसार घोषित सेवा के अंतर्गत आता है लेकिन निर्धारिती ने इस आय पर देय ₹ 69.89 लाख के सेवा कर (अधिभार सहित) का भुगतान नहीं किया था। इसे निर्धारिती से ब्याज और जुर्माने सहित वसूला जाना चाहिए था।

जब हमने इस मामले को उठाया (अगस्त 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं मानी और बताया (सितम्बर 2017) कि करार के उल्लंघन हेतु शास्ति/जुर्माने को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के अंतर्गत 'प्राप्त आय' के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए यह एक 'सेवा' नहीं है। वे आगे भी इस बात पर अड़े रहे कि सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता पूरी करने में व्यक्ति की आयोग्यता के लिए वसूले जा रहे शास्ति/जुर्माने को "सेवा प्रदान करने" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "किसी कार्य को सहन करना" वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 के अनुसार घोषित सेवा में विशेष रूप से शामिल है।

4.5.4 सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने/उपयोग करने का पता न लगाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3)(ii) के अनुसार करयोग्य एवं छूटप्राप्त दोनों सेवार्यें प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को प्राप्त एवं इनपुट/सेवाओं के उपयोग का अलग लेखा बनाना पड़ता है। अलग लेखा न बनाने का विकल्प चुनने वाला सेवा प्रदाता, नियम (6(3ए) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार सेवाओं से छूट से संबंधित समानुपातिक रिवर्स सेनवैट क्रेडिट का विकल्प चुन सकता है। इस समानुपातिक धनराशि की गणना करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान इनपुट/इनपुट सेवाओं पर लिए गए कुल सेनवैट क्रेडिट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.5.4.1 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

आईएपी ने सितम्बर 2013 की अवधि को शामिल करते हुए बेंगलुरु एसटी-11 कमिश्नरी में मै. मोटर वर्ड लि., 'नन्दी टोयटा' की लेखापरीक्षा की (दिसम्बर 2013)। हमारी संवीक्षा (जुलाई 2015) से पता चला कि निर्धारिती ने करयोग्य एवं छूट प्राप्त सेवाओं, दोनों के लिए सामान्य रूप से इनपुट्स एवं इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लिया और अलग से लेखा नहीं बनाया। निर्धारिती ने सेनवैट क्रेडिट का कुछ भाग वापस कर दिया लेकिन प्रावधान के अनुसार सभी इनपुट सेवाओं की बजाए करयोग्य एवं छूटप्राप्त सेवाओं, दोनों के लिए केवल सामान्य इनपुट सेवाओं को अपनाते हुए वापसीयोग्य धनराशि की गणना की। इसके परिणामस्वरूप विव13 से विव15 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ की कम वापसी हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं मानी और बताया (सितम्बर 2017) कि करयोग्य सेवार्यें प्रदान करने हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर निर्धारिती पूरा सेनवैट क्रेडिट लेने हेतु पात्र था और निर्धारिती की गणना सही थी। यह भी बताया गया कि राजस्व की सुरक्षा के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर ₹ 1.05 करोड़ की मांग करते हुए एससीएन जारी किया गया था और यह कि

निर्धारिती ने इस मांग के विरोध में ₹ 1.10 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया (सितम्बर 2015 और जनवरी 2017)।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करयोग्य एवं छूटप्राप्त इनपुट सेवा हेतु अलग से लेखा न बनाने वाले निर्धारिती के लिए सेनवैट क्रेडिट वापसी का सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 (3ए) में प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए जिसमें सेनवैट क्रेडिट राशि की वापसी की गणना हेतु सम्पूर्ण सेनवैट क्रेडिट लिया जाना था।

4.5.4.2 सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ

01 जुलाई 2012 से लागू दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं.26/2012-एसटी के अनुसार, परिसर, भवन, सिविल ढाँचे अथवा किसी भाग का जिसे खरीददार को बेचने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्माण किया जा रहा है, के मामले में दिए गए कुल राशि के 75 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, केवल उसको छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् पूरी राशि प्राप्त होती है, बशर्ते कि सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत करयोग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त इनपुट पर कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया हो।

दिल्ली एसटी-1 कमिश्नरी में मै. पारस रियलटेक लिमिटेड के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा (आईएपी द्वारा जून 2015 में लेखापरीक्षित) से पता चला कि विव13 और विव14 के दौरान निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं और पूँजीगत वस्तुओं के अलावा इनपुट पर ₹ 77.35 लाख का सेनवैट क्रेडिट लिया था जो उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। अतः इनपुट पर लिये गए ₹ 77.35 लाख का गलत सेनवैट क्रेडिट की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए थी।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2015), तब मंत्रालय ने यह सूचना देते हुए (अगस्त 2017) कि एससीएन जारी कर दिया गया था (सितम्बर 2016), बताया कि चूँकि सेनवैट का सत्यापन निर्धारिती द्वारा आईएपी को प्रस्तुत

इंवाइसेज़ के नमूना आधार पर किया गया था इसलिए उक्त चूक का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारितियों द्वारा दावा किए गए छूट की सटीकता की जांच करने हेतु सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 12 में एक विशिष्ट जांच का प्रावधान था और अपेक्षित सूचना एसटी-3 विवरणी में ही उपलब्ध थी।

4.5.5 संग्रहीत सेवा कर का प्रेषण न करने का पता न लग पाना

आईएपी द्वारा भोपाल कमिश्नरी में आपत्ति अवधि को शामिल करते हुए मै. राइटर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा. लि. लेखापरीक्षा की गई थी। इस निर्धारिती के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (अगस्त 2016) से पता चला कि विव13 से विव16 के दौरान निर्धारिती ने ₹ 24.11 करोड़ के कम मूल्य पर अचल संपत्ति सेवा को किराए पर देने पर सेवा कर का भुगतान किया, लेकिन इसने अपने क्लाइंट से ₹ 25.41 करोड़ के सेवा के पूरे मूल्य पर सेवा कर लिया। इस प्रकार, निर्धारिती ने अपने क्लाइंट से ली गई कटौती राशि पर ₹ 0.17 करोड़ का सेवा कर वसूल किया लेकिन इसे केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं कराया।

इसीप्रकार मार्च 2013 तक आईएपी द्वारा शामिल अवधि हेतु हैदराबाद कमिश्नरी में मै. विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में हमने देखा कि निर्धारिती ने अपने द्वारा संग्रहीत ₹ 0.20 करोड़ का सेवा कर जमा नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2016 और फरवरी 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2017) लेकिन दोनों मामलों में आईएपी की विफलता पर कुछ नहीं कहा।

4.5.6 ब्याज के कम भुगतान, भुगतान न करने का पता न लगना

वित्त अधिनियम 1994, की धारा 75 के अनुसार, सेवा कर के भुगतान पर निर्धारित दरों पर ब्याज देय है।

कच्छ कमिश्नरी में मै. दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने विव15 और विव16 में सेवा कर का विलम्ब से भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा ₹ 1.25 करोड़ राशि के भुगतान में देरी के लिए देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। आईएपी ने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की थी (सितम्बर 2016) लेकिन इसे इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और सूचित किया (जून 2017) कि निर्धारिती ने ब्याज का भुगतान कर दिया था। आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध IV के कॉलम 20 के अंतर्गत सभी एसटी-3 विवरणियों की जांच के लिए विशेष प्रावधान को देखते हुए आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था।

4.5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं/कर चूक-कर्ताओं की पहचान न करना

धनबाद कमिश्नरी में मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के सत्यापन के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती के 27 सेवा प्रदाताओं ने निर्धारिती को प्रदान की गई कार्य ठेका सेवा पर ₹ 22.44 लाख का सेवा कर नहीं वसूला। इसी प्रकार, कोचीन कमिश्नरी में मै. पॉपी अम्ब्रेला मार्ट के अभिलेखों की हमारी जांच में पता चला कि इस निर्धारिती के सेवा प्रदाता ने न तो पंजीकरण प्राप्त किया था और न ही ₹ 10.01 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। यद्यपि आईएपी ने निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की थी (जनवरी और अगस्त 2014), लेकिन इन चूकों का पता नहीं लगा पाए थे।

जब हमने इसे बताया, तब मंत्रालय ने दोनों मामलों में राजस्व की हानि स्वीकार कर ली (मई 2017 और सितम्बर 2017) और आईएपी की विफलता पर कहा कि आईएपी ने सेवा प्राप्तकर्ता की लेखापरीक्षा की थी, न कि सेवा प्रदाता की। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारिती के व्यय लेखाओं की संवीक्षा हेतु विशेष जांच का प्रावधान था ताकि

यह देखा जा सके कि क्या उन लेखाओं पर सेवा कर देयता पूरी हुई थी अथवा नहीं।

4.5.8 मामले जहां आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण नहीं प्रदान किए गए

हमने सेवा कर के कम भुगतान/भुगतान न करने आदि की पांच घटनायें (परिशिष्ट V के खण्ड सी⁴⁵ में शामिल) देखी; आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु इन इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा का आयोजन, आईएपी रिपोर्ट आदि हमें नहीं उपलब्ध कराई गईं। इसलिए हम इन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की दक्षता की जांच करने में असमर्थ थे। दो ऐसे मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:

4.5.8.1 वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी तथा दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी में प्रावधान है कि सेवा प्राप्तकर्ता को गैर-करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी करयोग्य सेवा पर सेवा कर का भुगतान करना होगा।

विव12 और विव13 की अवधि हेतु मुंबई एलटीयू कमिश्नरी में मै. जॉनसन एण्ड जॉनसन लि. के वार्षिक लेखे की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने मै. जॉनसन एण्ड जॉनसन, यूएसए को रॉयल्टी के रूप में क्रमशः ₹ 122.80 करोड़ और ₹ 137.14 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, इस व्यय की एसटी-3 विवरणियों के साथ मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या एसटी-3 विवरणियों में कर हेतु बताए गए करयोग्य मूल्य के कम होने का पता चला।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), तब कमिश्नरी ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 1.19 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 1.65 करोड़ के सेवा कर का भुगतान कर दिया था लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा के

⁴⁵ परिशिष्ट-V की धारा सी का कॉलम सं. 8, 10, 12, 24 और 38

विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.5.8.2 विवरणी में सेनवैट क्रेडिट का उपयोग न दर्शाने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 में प्रावधान है कि कोई भी करयोग्य सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करना होगा। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि सेवा कर का भुगतान केवल मार्च महीने को छोड़कर जहां कर का भुगतान 31 मार्च तक ही किया जाना है, भुगतान प्राप्त होने वाले महीने के तुरंत बाद, महीने की 5वीं/6वीं तारीख तक केंद्र सरकार के खाते में जमा कराया जाना है।

मुंबई एसटी-11 कमिश्नरी में मै. स्टारलॉग इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विव16 के मिलान विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 4.98 करोड़ की कुल सेवा कर देयता का भुगतान किया था (₹ 3.41 करोड़ नकद और ₹ 1.57 करोड़ सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा)। तथापि, सेनवैट क्रेडिट का उपयोग एसटी-3 विवरणी में नहीं दर्शाया गया था और ₹ 1.57 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को एसटी-3 विवरणी में सेनवैट क्रेडिट के अन्त शेष में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज एवं जुर्माने के साथ वसूला जाना था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2017), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2017) निर्धारिती द्वारा ₹ 12.95 लाख के ब्याज सहित ₹ 91.24 लाख के सेवा कर देयता के भुगतान की सूचना दी और बताया कि शेष राशि के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था। लेकिन मंत्रालय नव गठित जीएसटी लेखापरीक्षा । कमिश्नरी, मुंबई में इस सूचना की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरणों की पुष्टि नहीं कर सका और अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.6 क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियां

हमने क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियां दर्शाने वाले 14 मामले देखे। मंत्रालय ने तीन मामले मान लिए (*परिशिष्ट-IV* का खण्ड घ), जबकि 11 मामलों में (*परिशिष्ट-V* का खण्ड ड.) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं थी। उत्तर प्रतीक्षित था।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

4.6.1 सरकारी अभिलेखों से चूककर्ताओं की पहचान न करना

बोर्ड के दिनांक 23 नवम्बर 2011 के निर्देश के अनुसार, कमिश्नरी के विशेष सेल में विभिन्न स्रोतों जैसे- येलो पेजेज, समाचार पत्र-विज्ञापनों, आयकर विभाग, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरणों और वेबसाइटों, नगर निगमों से सूचना और उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित पीएसयूज एवं निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करनी थी।

विव12 से विव16 के लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचकुला (हरियाणा) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि उक्त कार्यालय ने अपने विभागीय अधिकारियों के लिए मै. शगुन इंटरप्राइजेज़, चंडीगढ़ से टैक्सियां किराये पर लीं। हमने चंडीगढ़ । कमिश्नरी में सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत मै. शगुन इंटरप्राइजेज़ के अभिलेखों/बिलों एवं वाउचरों की संवीक्षा की और पाया कि निर्धारिती ने कार्यालय, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचकुला से विव13 से विव16 की अवधि के लिए किराये पर कैब सेवा प्रदान करने हेतु ₹ 2.60 करोड़ प्राप्त किए थे और सेवा कर के भुगतान हेतु दायी था। लेकिन निर्धारिती ने न तो सेवा कर विवरणी ((एसटी-3) फाइल की थी और न ही ₹ 13.05 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था जो ₹ 6.48 लाख के ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और बताया (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 25.22 लाख की कुल सेवा कर देयता का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि निर्धारिती ने कोई भी एसटी-3

विवरणी दाखिल नहीं की थी, इसलिए विवरणियों की संवीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस बिन्दु के साथ प्रासंगिक नहीं था कि हमने कर चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध सूचना का उपयोग करने के बारे में आपत्ति की थी।

4.6.2 विलम्ब से विवरणियां प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क न वसूला जाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70 में विलम्ब से विवरणियां प्रस्तुत करने पर अधिकतम ₹ 20,000/- का विलम्ब शुल्क वसूले जाने का प्रावधान है।

हापुड़ कमिश्नरी के अंतर्गत सेवा कर रेंज मुरादाबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विव15 से संबंधित 325 एसटी-3 विवरणियां एक से 482 दिनों तक की देरी से प्रस्तुत की गई थी। विभाग ने इन विलम्बित विवरणियों पर ₹ 34.55 लाख के विलम्ब शुल्क की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2016), तब कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया (सितम्बर 2016) कि वसूली कार्रवाई शुरू की गई थी और अब तक 10 एससीएन जारी किये गये थे और शेष चूककर्ताओं के संबंध में एससीएन प्रक्रियाधीन थे।

आगे की प्रगति और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

4.6.3 अनुवर्ती कार्रवाई में कमियां

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे विवरणियों की संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा का अपेक्षित प्रभाव केवल तभी हो सकता है यदि क्षेत्राधिकारी पूर्व में देखी गई चूकों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें। हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के दो मामले देखे और ₹ 0.44 करोड़ की राजस्व हानि का पता नहीं लगता यदि लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित नहीं किया गया होता। दोनों मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.6.3.1 सेवा कर का कम भुगतान

हैदराबाद सेवा कर कमिश्नरी में, मैसर्स विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज़ प्रा. लि. की हमारी संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव 15 के लिये ₹ 30.62 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2013 तक की अवधि के लिये की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में विव13 में चार समान आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। लेकिन अभी तक क्षेत्राधिकारी रेंज कार्यालय ने सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने तक अनुवर्ती वर्षों में सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) और ₹ 30.62 लाख की वसूली की, यद्यपि ब्याज की वसूली की जानी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कहा कि क्योंकि निर्धारिती ने चूक की घोषणा पहले ही कर दी थी, इसलिये अलग से कार्रवाई करना आवश्यक नहीं था।

मंत्रालय के उत्तर ने पूर्व अवधि में चूक के ज्ञात मामलों में भी निर्धारिती द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता दर्शाई।

4.6.3.2 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

1 जुलाई 2012 से लागू वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी ओर 66डी के साथ पठित सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अनुसार नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट व्यापार गतिविधि “छूट प्राप्त सेवा” है। इसके अतिरिक्त, उस मामले में जहां करयोग्य और छूट प्राप्त सेवाएँ, दोनों प्रदान की गई हैं और सेवा प्रदाता ने सामान्य इनपुट सेवाओं से संबंधित अलग लेखे नहीं बनाये हैं, तो कथित नियमावली के नियम 6(3) में यथा निर्धारित, सेवा प्रदाता या तो छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर राशि या नियम 6(3ए) में यथा निर्धारित देने के लिये निर्धारित सेनवैट क्रेडिट वापस करेगा।

चेन्नै एसटी-॥ कमिश्नरी में, मैसर्स आईएसएस एसडीबी सेक्यूरिटी सर्विसेज़ प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच करने पर हमने देखा कि विव13 से विव16 के

दौरान, निर्धारिती ने करयोग्य और छूट प्राप्त, दोनों सेवाओं (ट्रेडिंग) से संबंधित सामान्य इनपुट सर्विसेज़ पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया और ट्रेडिंग गतिविधि को आरोप्य ₹ 10.28 लाख के सेनवैट क्रेडिट को वापस किये बिना, करयोग्य सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिये क्रेडिट का उपयोग किया, जिसका उपयुक्त ब्याज सहित भुगतान किया जाना है।

विभाग के आईएपी ने भी विव13 और विव14 के लिये समान गलती के बारे में बताया और निर्धारिती ने सेनवैट राशि वापस की थी। लेकिन निर्धारिती के वार्षिक लेखाओं सहित एसटी-3 विवरणियों की जांच पर सीएजी लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने विव13 से विव14 के लिये ₹ 8.92 लाख के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी की और विव15 के लिये ₹ 1.36 लाख की वापसी नहीं की। इसलिये, विभाग आईएपी द्वारा निर्धारिती की ओर से इस चुक को नोटिस करने के बाद भी निर्धारिती द्वारा सेनवैट वापस करने की सटीकता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

जब हमने यह बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार न करते हुये (सितम्बर 2017) बताया कि उसे मामले के बारे में पहले से ही जानकारी है क्योंकि आईएपी ने पहले ही चूक के बारे में बता दिया था और कि निर्धारिती ने ₹ 10.28 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ वापस कर दिया था और ₹ 2 लाख के उचित ब्याज का भुगतान भी कर दिया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आईएपी की विफलता के बारे में नहीं बताया था बल्कि विभाग की अनुवर्ती कार्रवाई में चूक के बारे में बताया था जिसके परिणामस्वरूप आपत्ति की राशि की कम वसूली हुई, जिसे सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद ही सही किया गया था।

4.6.4 प्रतिदाय की अधिक मंजूरी

दिनांक 1 मार्च 2005 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, ₹ 5 लाख या उससे अधिक राशि से जुड़े सभी प्रतिदाय/छूट दावे क्षेत्राधिकारी कमिश्नर के स्तर पर पूर्व लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन होने चाहिये।

एलटीयू मुंबई कमिश्नरी में, इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ प्रदान करने में लगे मैसर्स सोनाटा इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ने अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 की तिमाही के लिये ₹ 82.65 लाख का संशोधित प्रतिदाय दावा फाइल किया, जो विभाग द्वारा अप्रैल 2014 में संस्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रति प्रभार के अंतर्गत भुगतान किये गये सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का समय पूर्व लाभ लेने और निर्यात कारोबार के टीडीएस को बाहर न रखने के कारण ₹ 20.46 लाख के प्रतिदाय की अधिक मंजूरी हुई थी। यद्यपि प्रतिदाय दावे का अप्रैल 2014 में पूर्व लेखापरीक्षण किया गया था परन्तु इन कमियों के बारे में नहीं बताया गया था।

जब हमने यह बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि ₹ 20.46 लाख की राशि की अधिक वापसी की वसूली की मांग एससीएन हेतु निर्धारिती को जारी (सितम्बर 2015) किया गया था। मंत्रालय ने बताया कहा कि प्रतिदाय दावे की पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिदाय आवेदन जो मिलान करने के लिये था, में दावा की गई राशि के साथ फाइल किये गये विवरणियां में सेनवैट क्रेडिट लाभ की राशि सुनिश्चित करने तक सीमित थी। मंत्रालय ने आगे बताया कहा कि प्रतिदाय दावे के साथ स्वतंत्र सनदी लेखाकार (सीए) जो प्रतिदाय दावे की यर्थाथता प्रमाणित करता है, उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वह सीए द्वारा प्रमाण पत्र देकर स्वीकृत प्रतिदाय की यर्थाथता सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता और मंत्रालय को भी सीए, जिसने प्रतिदाय दावे को अनुचित रूप से प्रमाणित किया है, के प्रति उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.6.5 एससीएन जारी करने में कमी

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 73 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, जहां कोई सेवा कर नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम उगाही की गई है या कम भुगतान किया गया है या गलती से

वापस कर दिया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संबंधित तिथि से अठारह महीनों के अंदर, सेवा कर को प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।

4.6.5.1 समय पर एससीएन जारी न करना

पटना कमिश्नरी में मैसर्स नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (एनएचपीसी) ने एजेंसी शुल्क के रूप में सड़क मंत्रालय से विव13 से विव15 के दौरान ₹ 31.09 करोड़ प्राप्त किए। लेकिन निर्धारिती ने ₹ 3.84 करोड़ का सेवा कर और शिक्षा उपकर जमा नहीं किया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2016), तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि समान मामले में निर्धारिती ने विव09 से विव12 की अवधि के लिये सीईएसटीएटी के समक्ष अपील फाइल की है जिस पर स्टे दिया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विव09 से विव12 की अवधि वाले इस मामले को सीएजी की 2015 की रिपोर्ट संख्या 4 (पैरा 7.4.1.1) में बताया गया था जहां चूक का पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के बारे में बताया गया था और विभाग ने अधिनिर्णय के दौरान इस मामले में मांग की पुष्टि की सूचना दी थी। पूर्व अवधि में सीएजी द्वारा बताये जाने के बाद भी, विभाग ने अनुवर्ती अवधि अर्थात विव13 से विव15 के लिये ₹ 3.84 करोड़ के एससीएन जारी नहीं किये। इससे देय कर के भाग का समयबधित होने का जोखिम हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.6.5.2 एससीएन में मांग शामिल न करना

कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी के अंतर्गत नॉर्थ डिवीजन के अभिलेखों की संवीक्षा (नतम्बर 2015) से पता चला कि आईएपी ने मैसर्स जीनियस कंसलटेन्ट्स लिमिटेड और मैसर्स नोमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. के संबंध में विव10 से विव11 की अवधि के लिये ₹ 13.10 लाख और विव10 से विव12 की अवधि हेतु ₹ 1.70 करोड़ के लिये

आपत्तियां उठाईं। दोनों मामलों की क्रमशः फरवरी 2013 और फरवरी 2014 में आयोजित मॉनीटरिंग समिति बैठक (एमसीएम) में चर्चा की गई थी और एससीएन जारी करने का निर्णय लिया गया था। अंत में, विभाग ने विव10 से संबंधित क्रमशः ₹ 29.26 लाख और ₹ 5.42 लाख की मांग को छोड़कर क्योंकि यह कालबाधित हो गयी थी, अक्टूबर 2015 में एससीएन जारी किया था। इसप्रकार एससीएन जारी करने में विलम्ब के कारण ₹ 34.68 लाख के राजस्व की हानि हुई।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) और बताया कि एससीएन जारी करने में विलम्ब संबंधित डिवीजन द्वारा ड्रॉफ्ट एससीएन अग्रेसित करने में विलम्ब के कारण था और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 नवम्बर 2017

(हिमबिंदु मुडुंबै)
प्रधान निदेशक (वस्तु एवं सेवा कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 नवम्बर 2017


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

सीबीईसी का संगठनात्मक चार्ट

(संदर्भ - पैराग्राफ 1.3)



परिशिष्ट-II

अपंजीकृत सेवा प्रदाता और कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) से एकत्रित डाटा से देखी गई उनकी सकल प्राप्तियां (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता का नाम	पैन/टिन संख्या	अवधि	सकल प्राप्तियां
1	एडुनोवा एजुकेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद	AADCE0039M	2013-14	11.16
			2014-15	2.71
			2015-16	0.00
2	गेटवेज़ माइग्रेशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AAECG2987K	2013-14	119.74
			2014-15	139.61
			2015-16	132.04
3	जेनेसिस लर्निंग इनीशियेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AADCG6832C	2013-14	448.19
			2014-15	469.27
			2015-16	441.85
4	गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रिन्डुरियल एक्सिलेंस, अहमदाबाद	AAECG4260F	2013-14	0.00
			2014-15	319.18
			2015-16	155.95
5	हैंड्स-ऑन एजुकेशनल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AACCH7115G	2013-14	56.34
			2014-15	20.23
			2015-16	5.99
6	इंडो-अमेरिकन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AACCI6104J	2013-14	0.00
			2014-15	0.00
			2015-16	12.09
7	आईएसबीएम एक्सिलेंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	CIN - U80301GJ2009 PTC056389	2013-14	30.72
			2014-15	0.00
			2015-16	0.00
8	एनसीवीटी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AADCN4264D	2013-14	0.00
			2014-15	14.11
			2015-16	0.00
9	नेपच्यून एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AACCN5204E	2013-14	360.52
			2014-15	691.86
			2015-16	627.00
10	पेल्यूसिड नोलेज़ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	AAGCP5655F	2013-14	0.00
			2014-15	16.28
			2015-16	18.06
11	रेडब्रिक्स एजुकेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद	AAECR2399G	2013-14	61.12
			2014-15	96.34
			2015-16	159.89

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता का नाम	पैन/टिन संख्या	अवधि	सकल प्राप्तियां
12	रेडब्रिक्स जूनियर एजुकेशन लिमिटेड, अहमदाबाद	AADCC5397E	2013-14	78.33
			2014-15	90.85
			2015-16	101.29
13	होलिस्टिक एलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	AACCH1438C /U80302RJ2008 PTC027942	2014-15	67.60
			2015-16	78.24
14	ग्लोबेट्रॉटर्स एजुकेशन इनोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड	AACCG7895E / U80302RJ2007 PTC023965	2013-14	2737.71
			2014-15	3172.64
			2015-16	3919.65
15	छपराना कैरियर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AACCC3782G / U80302RJ2004 PTC019311	2014-15	11.96
16	तुलसी एड्यूटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AADCT6584C / U80302RJ2010 PTC033457	2014-15	11.13
17	स्ट्रेंडस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर	AAQCS8722C / U80302RJ2012 PTC037555	2014-15	12.41
			2015-16	13.52
18	सी स्टोन मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AAFCEB5604B / U80302RJ2013 PTC043150	2014-15	18.72
			2015-16	18.95
19	इंटरनेशनल इन्स्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैकनालजी इस्टडीज, जयपुर	AADCI3389N / U80302RJ2013 PTC043006	2013-14	167.36
			2014-15	156.38
20	एनिमा एडूकेयर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, झुनझुनू	AAICA9077C / U80302RJ2010 PTC03736	2014-15	12.85
			2015-16	5.60
21	डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टैकनालजी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AAECD7677H / U80302RJ2012 PTC040548	2013-14	20.22
			2014-15	16.84
22	आईडीए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AACCI4381D / U80302RJ2010 PTC033075	2013-14	118.53
			2014-15	39.78
23	आईआईएफए (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	AABCI3570K / U80302RJ2005 PTC020691	2013-14	69.52
			2014-15	108.50
कुल				15,458.83

परिशिष्ट-III

**मंत्रालय द्वारा स्वीकृत निर्धारिती द्वारा अननुपालन के
मामलों की सूची
(संदर्भ: पैराग्राफ 3.1)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्ति उठाई गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिशनरी का नाम
सेवा कर का भुगतान नहीं करना					
1	30डी	4.58	4.58		अहमदाबाद एसटी
2	33डी	2.88	2.88		अहमदाबाद एसटी
3	4बी	2.65	2.65		वडोदरा-I
4	1ए	2.44	2.44	2.44	पुणे-II
5	31डी	1.81	1.81		वडोदरा-I
6	122डी	1.75	1.75		जयपुर
7	6डी	0.95	0.95		पुणे-II
8	42बी	0.88	0.88		बिलासपुर
9	30बी	0.84	0.84	0.84	मुंबई एसटी-V
10	14ए	0.83	0.83	0.78	भोपाल
11	22बी	0.72	0.72	0.72	जालंधर
12	9ए	0.65	0.65	0.03	कोलकाता एसटी-II
13	8ए	0.57	0.57		कोलकाता एसटी -II
14	5ए	0.47	0.47		लुधियाना
15	32बी	0.47	0.47		अहमदाबाद-III
16	15बी	0.46	0.46	0.46	दिल्ली एसटी-II
17	9डी	0.44	0.44	0.44	हैदराबाद-I

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्ति उठाई गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
18	10ए	0.40	0.40		कोलकाता एसटी-II
19	23बी	0.39	0.39		वडोदरा-I
20	19बी	0.31	0.31	0.31	गुडगांव एसटी- II
21	52डी	0.31	0.31	0.28	पुणे-II
22	2ए	0.25	0.25	0.25	कोल्हापुर
23	40बी	0.23	0.23		कालीकट
24	44बी	0.21	0.21	0.21	जयपुर
25	41बी	0.15	0.15		वडोदरा- I
26	3बी	0.14	0.14	0.14	हैदराबाद एसटी
27	21ए	0.13	0.13		लखनऊ
28	8बी	0.12	0.12	0.12	चंडीगढ़-II
29	21बी	0.12	0.12	0.12	राउरकेला
30	37डी	0.12	0.12		वडोदरा- I
31	36बी	0.10	0.10	0.10	अहमदाबाद-III
सेवा कर का कम भुगतान					
32	2बी	2.94	2.94	2.94	मुंबई एसटी-V
33	6बी	2.51	2.51	2.51	मुंबई एसटी- V
34	7बी	2.45	2.45	2.45	मुंबई एसटी- V
35	17बी	1.97	1.97	1.97	बैंगलोर- V
36	9बी	1.65	1.65		जयपुर
37	59डी	1.15	1.15	0.86	मुंबई एसटी- II
38	20ए	0.89	0.89		जमशेदपुर
39	29बी	0.80	0.80	0.80	कोल्हापुर

2017 का प्रतिवेदन संख्या 43 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्ति उठाई गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
40	10बी	0.49	0.49	0.49	वडोदरा- ।
41	42डी	0.49	0.49	0.26	चेन्नई एसटी- ।
42	2डी	0.30	0.30	0.30	नागपुर-॥
43	45डी	0.27	0.27	0.27	चेन्नई एसटी- ।
44	35बी	0.26	0.26	0.22	कालीकट
45	34बी	0.22	0.22		वडोदरा- ।
46	11डी	0.21	0.21	0.21	हैदराबाद एसटी
47	17डी	0.21	0.21	0.21	विशाखापत्तनम
48	38बी	0.17	0.17		आनंद
49	25बी	0.16	0.16	0.16	कालीकट
50	13ए	0.13	0.13		गुडगांव एसटी
51	26बी	0.13	0.13	0.13	कोचीन
52	31बी	0.13	0.13	0.13	हैदराबाद- ॥
53	11ए	0.10	0.10	0.10	दिल्ली एसटी- ॥
सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग					
54	6ए	5.71	5.71	5.71	काकीनाडा
55	12ए	2.05	2.05	0.79	कोचीन
56	92डी	1.42	1.42	1.42	रायपुर
57	27बी	0.68	0.68	0.68	लखनऊ
58	13बी	0.55	0.55	0.55	बैंगलोर एलटीयू
59	118डी	0.42	0.42		कोलकाता एसटी- ॥
60	39बी	0.36	0.36	0.36	कोचीन
61	33बी	0.33	0.33	0.33	चेन्नई एसटी-।

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्ति उठाई गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
62	87डी	0.23	0.23	0.23	दिल्ली एसटी- II
63	100डी	0.19	0.19	0.19	दिल्ली एसटी- II
64	56डी	0.15	0.15	0.15	मुम्बई एसटी-VI
65	1बी	0.14	0.14	0.14	कोल्हापुर
66	28बी	0.13	0.13	0.13	कोलकाता एसटी-II
67	94डी	0.13	0.13	0.13	जयपुर
68	12बी	0.12	0.12	0.12	दिल्ली एसटी- II
69	14बी	0.12	0.12	0.12	चेन्नई एसटी-I
70	15ए	0.11	0.11	0.11	दिल्ली एसटी-II
71	11बी	0.10	0.10		कोचीन
ब्याज का भुगतान न करना					
72	34डी	0.93	0.93	0.93	वडौदरा-I
73	28डी	0.31	0.31	0.03	कोलकाता एसटी-II
74	16बी	0.29	0.29	0.29	बैंगलोर-V
75	5बी	0.21	0.21	0.14	सूरत - I
76	24बी	0.18	0.18	0.18	चेन्नई एसटी- I
77	45बी	0.15	0.15	0.15	बिलासपुर
78	37बी	0.12	0.12	0.12	मुम्बई एसटी-V
79	18बी	0.10	0.10	0.10	जयपुर
80	20बी	0.10	0.10	0.10	दिल्ली एसटी-II
कम धन मूल्य आपत्तियाँ जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया तथा सुधारात्मक कार्रवाई की गई परन्तु ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराओं में नही बदला गया					
		22.51	22.51	19.66	
	कुल	81.84	81.84	53.85	

परिशिष्ट-IV

मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई विभागीय त्रुटियों के मामलों की सूची
(संदर्भ: पैराग्राफ 4.2,4.3,4.4 और 4.5)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तिगत राशि	स्वीकार राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
खंड ए: विवरणियां की संवीक्षा में असफलता					
1	61डी	2.80	2.80	2.80	मुम्बई एसटी-II
2	39डी	1.42	1.42	1.42	कोलकाता एसटी-I
3	75डी	0.69	0.69	0.69	बैंगलोर एसटी-II
4	27डी	0.62	0.62	0.62	कोलकाता एसटी-II
5	72डी	0.47	0.47	0.47	बैंगलोर एसटी-II
6	29डी	0.41	0.41	0.24	कोलकाता एसटी-II
7	73डी	0.38	0.38	0.38	बैंगलोर एसटी-II
8	41डी	0.16	0.16	0.16	चंडीगढ़-I
9	60डी	0.16	0.16	0.16	मुम्बई एसटी-VI
10	107डी	0.11	0.11	0.11	इंदौर
खंड ख: आंतरिक लेखा परीक्षा का गैरआचरण-					
11	104डी	10.98	10.98		मुम्बई एसटी-V
12	88डी	6.24	6.24	6.24	बैंगलोर एसटी-II
13	21डी	1.74	1.74		भुवनेश्वर-I
14	80डी	0.77	0.77		चेन्नई एसटी-I
15	96डी	0.68	0.68		मुम्बई एसटी-V
16	89डी	0.58	0.58	0.58	बैंगलोर एसटी-II

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तिगत राशि	स्वीकार राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
17	51डी	0.47	0.47		जमशेदपुर
18	66डी	0.45	0.45	0.45	दिल्ली एसटी-II
19	5डी	0.41	0.41	0.41	मुम्बई एसटी-IV
20	114डी	0.35	0.35	0.35	राउरकेला
21	53डी	0.28	0.28	0.28	मुम्बई एसटी-V
22	3डी	0.25	0.25	0.25	मुम्बई एसटी-I
23	16डी	0.23	0.23	0.23	हैदराबाद एसटी
24	99डी	0.21	0.21	0.21	दिल्ली एसटी-II
25	54डी	0.14	0.14	0.14	कोल्हापुर
26	55डी	0.13	0.13	0.13	मुम्बई एसटी-VI
27	67डी	0.13	0.13		दिल्ली एसटी-III
28	124डी	0.13	0.13	0.13	दिल्ली एसटी-III
29	1डी	0.11	0.11	0.11	मुम्बई एसटी-V
खंड ग- आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा त्रुटि का न खोजा जाना					
30	62डी	0.84	0.84		कोचीन
31	38डी	0.60	0.60	0.39	वडोदरा-I
32	70डी	0.55	0.55	0.55	बैंगलोर एलटीयू
33	36डी	0.54	0.54	0.54	वडोदरा-I
34	108डी	0.48	0.48		अहमदाबाद एसटी
35	78डी	0.32	0.32		बैंगलोर एसटी-II
36	79डी	0.32	0.32	0.32	बैंगलोर एसटी-II
37	18डी	0.17	0.17	0.17	हैदराबाद-III
38	112डी	0.11	0.11		वडोदरा-I

2017 का प्रतिवेदन संख्या 43 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तिगत राशि	स्वीकार राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
क्षेत्राधिकार कमिश्नरीयों के कार्यचालन में कमियां					
39	71डी	2.72	2.72	2.72	बेंगलोर एलटीयू
40	85डी	0.21	0.21	0.21	कोचीन
41	43डी	0.17	0.17		चेन्नई एसटी-II
	कुल	38.53	38.53	21.46	

परिशिष्ट-V

स्वीकार न की गई विभागीय कमियों पर आपत्तियों /अध्याय-IV में चर्चा
किए गए प्रतीक्षित उत्तर की सूची

(देखें: पैराग्राफ 4.2, 4.3,4.4,4.5,तथा 4.6)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
खंड क- विवरणियों की संवीक्षा में असफलता					
1	101डी	16.19		5.52	मुम्बई एसटी-॥
खंड ख- आंतरिक लेखापरीक्षा न होना					
2	129डी	0.49			चण्डीगढ़-।
3	13डी	0.32	0.32	0.32	हैदराबाद एसटी
खंड ग-आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा कमियों की पहचान न करना					
4	126डी	23.35			बैंगलोर एसटी-॥
5	123डी	10.96	10.96		वडोदरा-।
6	64डी	8.60	8.60		कोचीन
7	65डी	5.31	5.31		कोचीन
8	98डी	2.84	2.84	2.84	मुम्बई एलटीयू
9	133डी	2.15	2.15		वडोदारा-।
10	102डी	1.77			मुम्बई एसटी-॥
11	77डी	1.69		1.69	बैंगलोर एसटी-॥
12	115डी	1.57	1.57	1.04	मुम्बई एसटी-॥
13	76डी	1.32		1.10	बैंगलोर एसटी-॥
14	35डी	1.25	1.25	1.25	कच्छ
15	19डी	0.99	0.99		हैदराबाद एसटी
16	68डी	0.77	0.77		दिल्ली एसटी-।
17	120डी	0.72	0.72		नेलौर

2017 का प्रतिवेदन संख्या 43 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
18	106डी	0.70			इंदौर
19	10डी	0.62	0.62	0.62	गुंटूर
20	46डी	0.50	0.50	0.50	कोचीन
21	14डी	0.42			विशाखापट्टनम
22	113डी	0.38	0.38	0.38	वडोदरा-I
23	24डी	0.38			जयपुर
24	103डी	0.34	0.34	0.34	मुम्बई एसटी-II
25	109डी	0.34	0.34	0.34	त्रिची क्यम्बटूर
26	25डी	0.33	0.33		जयपुर
27	105डी	0.24	0.24		भोपाल
28	74डी	0.24		0.24	बेंगलोर एसटी-II
29	22डी	0.23	0.23	0.23	जयपुर
30	49डी	0.22	0.22	0.05	धनबाद
31	8डी	0.20	0.20		हैदराबाद एसटी
32	138डी	0.20			इंदौर
33	15डी	0.17	0.17		विशाखापट्टनम
34	44डी	0.17			चेन्नई एसटी-I
35	12डी	0.16	0.16		गुंटूर
36	116डी	0.15	0.15	0.15	कोचीन
37	81डी	0.15	0.15	0.15	चेन्नई एसटी-II
38	97डी	0.13		0.13	मुम्बई एसटी-II
39	111डी	0.10	0.10		अहमदाबाद एसटी
40	47डी	24.16	24.16		हैदराबाद एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	आपत्तित राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
41	63डी	2.72	2.72		कोचीन
42	127डी	1.81	1.81	1.81	मुंबई एसटी-V
43	20डी	1.45	1.45		हैदराबाद-II
44	32डी	0.66	0.66	0.10	दमन
45	134डी	0.62	0.62		अहमदाबाद एसटी
46	121डी	0.55	0.55		जयपुर
47	135डी	0.40	0.40		चेन्नई एसटी-II
48	23डी	0.37	0.37		जयपुर
49	117डी	0.27	0.27	0.27	जयपुर
50	57डी	0.25	0.25	0.25	मुंबई एसटी-VI
51	83डी	0.23	0.23		कालीकट
खंड डी: क्षेत्राधिकार कमिश्नरियों की कार्यप्रणाली में कमियाँ					
52	50डी	3.84			पटना
53	84डी	0.63	0.63		कोचीन
54	110डी	0.63	0.63		अहमदाबाद एसटी
55	48डी	0.35	0.35		हापुड़
56	119डी	0.35	0.35		कोलकाता एसटी-I
57	90डी	0.32			बंगलौर एसटी-II
58	7डी	0.32	0.32	0.31	हैदराबाद एसटी
59	91डी	0.24	0.24	0.24	बंगलौर एसटी-II
60	4डी	0.20	0.20		मुंबई एलटीयू
61	95डी	0.20	0.20		चंडीगढ़-I
62	131डी	0.12		0.12	चेन्नई एसटी-II
कुल		127.35	76.02	19.99	

टिप्पणी: क्रम संख्या 40 से 51 उन मामलों को प्रस्तुत करते हैं जहां मंत्रालय ने बताया कि चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन मामलों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।

शब्दावली

एसी	सहायक आयुक्त
एसीईएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
बीई	बजट अनुमान
बोर्ड	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीए	सनदी लेखाकार
सीएएपी	कंप्यूटर सेवित लेखापरीक्षा कार्यक्रम
सीएएटी	कंप्यूटर सेवित लेखापरीक्षा तकनीक
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	मुख्य आयुक्त
सीसीआर	सेनवैट क्रेडिट नियमावली
सीडीआर	कमिश्नरी डिविजन तथा रेंज
सीई/सीएक्स	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीईएएम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक
सेनवैट	केंद्रीय मूल्यवर्धित कर
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण

सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटीसी	वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	उपायुक्त
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना
डीजीएसटी	महानिदेशक सेवा कर
डीजी जीएसटी	महानिदेशक वस्तु और सेवा कर
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
ईए 2000	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा 2000
ईसी	शिक्षा उपकर
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईएपी	आंतरिक लेखा परीक्षा दल
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान

आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

आईएसडी इनपुट सेवा वितरक

आईटी सूचना प्रौद्योगिकी

जेसी संयुक्त आयुक्त

एलटीयू बड़ी करदाता इकाई

एमसीए कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

एमसीएम निगरानी समिति की बैठक

एमआईएस प्रबंधन सूचना प्रणाली

एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां

एमओएफ वित्त मंत्रालय

एमओयू समझौता ज्ञापन

एमटीआर मासिक तकनीकी रिपोर्ट

ओआईए अपील आदेश

ओआईओ मूल आदेश

पीडी प्रधान निदेशक

पीएलए व्यक्तिगत खाता लेखा

आरएंडसी समीक्षा और सुधार

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक

आरई संशोधित अनुमान

आरओसी	कंपनियों के रजिस्ट्रार
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसएचईसी	माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
एसटी	सेवा कर
एसटीएएम	सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
वीएस	मूल्य वर्धित सेवाएं
वीसीईएस	स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in